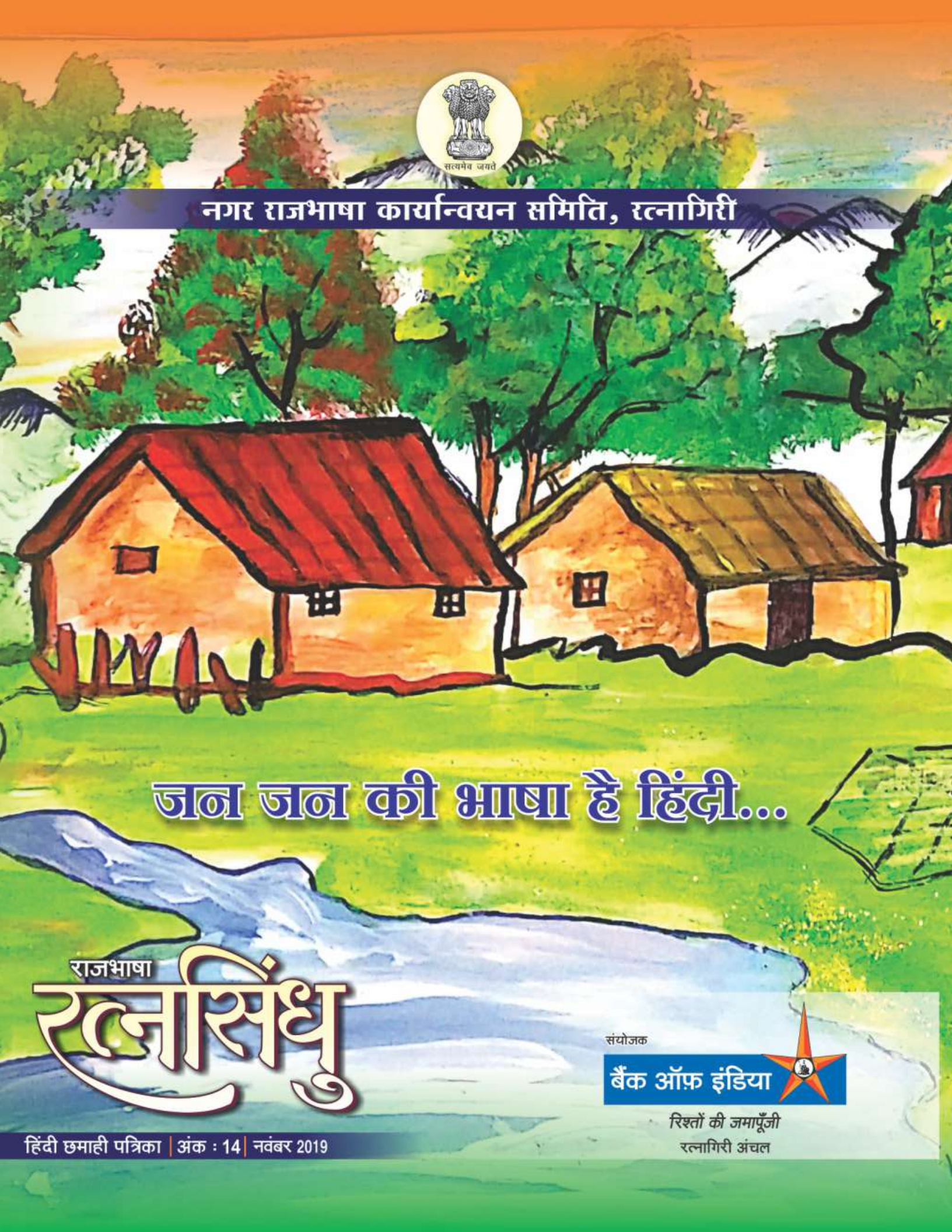
सत्यमेव जयते
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी
जन जन की भाषा है हिंदी...
राजभाषा
रत्नसिंधु
संयोजक
बैंक ऑफ़ इंडिया
रिश्तों की जमापूँजी
रत्नागिरी अंचल
हिंदी छमाही पत्रिका | अंक : 14 | नवंबर 2019

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी को वर्ष 2018-19 हेतु श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी को 14 सितंबर 2019 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित हिन्दी दिवस पुरस्कार वितरण समारोह में वर्ष 2018-19 हेतु 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां' श्रेणी में समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से द्वितीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार ग्रहण करते हुए समिति के अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया श्री अतुल सातपुते एवं प्रमाण पत्र ग्रहण करते हुए समिति के सदस्य सचिव श्री रमेश गायकवाड।

अध्यक्षीय संबोधन....

प्रिय साथियो,

आप सभी को सस्नेह नमस्कार तथा हार्दिक शुभकामनाएँ।

सर्वप्रथम, मैं अध्यक्ष के रूप में आप सभी को इस बात की हार्दिक बधाई देता हूँ कि अपनी रत्नागिरी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति को माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों से नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 14 सितंबर 2019 को आयोजित भव्य हिन्दी दिवस समारोह में 'ख' क्षेत्र के लिए 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियाँ' श्रेणी में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अपनी नराकास दूसरे स्थान पर रही। हम सबके लिए, रत्नागिरी नगर के केंद्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय / बैंक / बीमा कंपनी / वित्तीय संस्थान / उपक्रम, जो इस नराकास के सदस्य कार्यालय हैं, के लिए ये बेहद प्रसन्नता का विषय और क्षण है। इस शानदार उपलब्धि पर हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये कितने हर्ष का विषय है, इसका अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, दमन, दीव और दादरा-नगर हवेली स्थित नराकासों में अपनी रत्नागिरी नराकास को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। निस्संदेह ये हम सभी कार्यालयों के राजभाषा कार्यान्वयन को समर्पित अव्वल दर्ज़े के योगदान का नतीजा है।

आपको मालूम होगा कि इससे पूर्व हमारी नराकास ने वर्ष 2016-17 में उत्कृष्ट राजभाषा कार्यान्वयन के लिए 'ख' क्षेत्र में 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियां' श्रेणी में भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा दिए जाने वाले 'पश्चिम क्षेत्र' के क्षेत्रीय राजभाषा पुरस्कारों में द्वितीय स्थान हासिल कर तत्कालीन माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से पुरस्कार प्राप्त किया था और तब हम सभी सदस्य कार्यालयों ने दृढ़ निश्चय किया था कि हम अपनी मेहनत और लगन से भरे हुए राजभाषा कार्यान्वयन को अंजाम देकर 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' जरूर प्राप्त करेंगे। इस वर्ष हमने अपने उस दृढ़ निश्चय को हक़ीक़त में बदल दिया। हम सबका जुनून काबिले तारीफ था। सभी सदस्य कार्यालय बधाई के पात्र हैं।

हमारी नराकास की देशभर में चर्चा हो रही हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर रत्नागिरी नराकास में खास क्या है। ये खास है - आपकी सहभागिता से किए जाने वाले विविध कार्यक्रम / आयोजन / समारोह और ऐसे आयोजनों के लिए कार्यालय प्रमुखों की दिलचस्पी, नियमानुसार बेहतर राजभाषा कार्यान्वयन, छमाही बैठकों में कार्यालय प्रमुखों की बेहतर उपस्थिति, सभी कार्यालयों से छमाही रिपोर्टों की प्राप्ति व और भी बहुत कुछ। हम सभी का ये जुनून, ये दिलचस्पी, ये समर्पण बना रहे और हमारे ये गुण, ये खुसुसियत हमारी इस नराकास को और ऊंची बुलंदियों पर लेकर जाए। हम सभी का अगला लक्ष्य होगा - राजभाषा कीर्ति पुरस्कारों में प्रथम स्थान प्राप्त करना।

फिलहाल समिति की छमाही हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु' का 14 वां अंक आपके समक्ष है। विषयों में विविधता रखी गई है। आपको ये अंक जरुर पसंद आएगा। समिति की वेबसाइट पूरी तरह अद्यतित है। वेबसाइट पर उपलब्ध सुविधा का भरपूर इस्तेमाल करें।

आपका सभी की मंगलमय कामनाओं के साथ...

दिनांक : 29 नवंबर 2019

अतुल सातपुते

(अतुल सातपुते)
अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक,
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति

संपादकीय....

साथियो,

आप सभी को सविनय नमस्कार,

मैंने हाल ही में पूर्व सदस्य सचिव श्री रमेश गायकवाड के स्थानापन्न के रूप में नराकास रत्नागिरी के सदस्य सचिव का कार्यभार संभाला हैं। सदस्य सचिव के रूप में भी ये मेरा पहला अनुभव है। बहुत कम समय में समिति के कार्यों रे रू-ब-रू कराने के लिए समिति की कोर कमिटी के सदस्यों का मैं हार्दिक शुक्रिया अदा करता हूँ।

सर्वप्रथम, समिति के सभी सदस्य कार्यालयों को वर्ष 2018-19 हेतु श्रेष्ठ राजभाषा कार्यान्वयन के लिए 'राजभाषा कीर्ति पुरस्कार' प्राप्ति पर हार्दिक बधाई। अपनी समिति ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। मैं आशा करता हूँ कि समिति औरराजभाषा कार्यान्वयन के प्रति सभी सदस्य कार्यालयों का समर्पण इसी तरह बना रहेगा। निस्संदेह आपकी यही लय और गति समिति को और आगे लेकर जाएगी। ऐसा मेरा विश्वास है।

हमारी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की छमाही हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु' का चौदहवाँ अंक आपके हाथों में सौंपते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है। इस पत्रिका को बेहतर बनाने के प्रयास निरंतर जारी हैं। पत्रिका के 13 वें अंक में सम्मिलित आलेखों, काव्यों पर हमें बहुत से पाठकों से उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हुई हैं। हमें लोगों की ऐसी प्रतिक्रियाओं एवं उनके सुझावों ने पत्रिका में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसके लिए हम आप सभी पाठकों के आभारी हैं।

हमारी समिति के गठन ने 15 साल पूरे कर लिए हैं। गत वर्षों में समिति ने उल्लेखनीय उन्नति की है। इस दौरान समिति द्वारा सदस्य कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन को बढ़ावा देने तथा सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों में हिन्दी में कामकाज करने के प्रति रुचि जगाने के लिए नियमित रुप से कोई न कोई आयोजन, समारोह, हिन्दी संगोष्ठी आदि को अंजाम दिया जाता रहा है। समिति का यह प्रयास रहा है कि सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों के लिए प्रति वर्ष अनिवार्य रूप से एक अथवा अधिकतम दो हिन्दी संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहे। ऐसी संगोष्ठियों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें वक्ता भी सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख ही रहते हैं। हाल ही में ऐसी संगोष्ठी का आयोजन दिनांक 24.10.2019 को किया गया था। आप सभी अवगत हैं कि हमारी समिति प्रतिवर्ष सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों के लिए दो संयुक्त हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन भी करती है ताकि स्टाफ सदस्यों को राजभाषा में कामकाज को लेकर अगर कोई झिझक है, कहीं कोई समस्या है तो उसका निपटारा किया जा सके। आखिरकार नराकास एक साझा और संयुक्त मंच जो है। इसके अतिरिक्त भी समिति द्वारा हिन्दी पखवाड़े, विश्व हिन्दी दिवस, नराकास शील्ड का आयोजन करती रही है। समिति की अपनी कोर कमिटी है जो समिति को आगे बढ़ाने के लिए निर्णय लेती है। इसके अतिरिक्त समिति की अपनी वेबसाइट है जो कि अद्यतित है, अपना स्वतंत्र कार्यालय है। समिति का अपना पुस्तकालय है। गत वर्षों में आप सभी के सहयोग से समिति ने शानदार कार्य किए हैं, उपलब्धियां अर्जित की हैं। समिति ने नाम कमाया है।

पत्रिका के इस अंक में आपका शानदार आलेखों तथा खूबसूरत एवं मार्मिक कविताओं से परिचय होगा। इस अंग में आपको हिन्दी के कानूनी स्वरूप से लेकर जीवन में ईमानदारी के महत्त्व सहित मानवीय संवेदनाओं से वंचित 'थर्ड जेंडर' के दर्द की दास्तां से रूबरू होने का मौका भी मिलेगा। सतर्कता / ईमानदारी पर आपको मराठी में भी आलेख पढ़ने को मिलेगा। तकनीकी विषयों पर भी आपको आलेख मिलेंगे। विषयों की विविधता आपको पसंद आएगी।

पत्रिका को और बेहतर बनाने के लिए आपकी प्रतिक्रियाओं, सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ...

(निरंजन कुमार सामरिया)
सदस्य सचिव एवं वरिष्ठ प्रबंधक
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी

राजभाषा
रत्नसिंधु

अनुक्रमणिका

आप की राय... 1

ग्राहक सेवा के मायने 3

वित्तीय समावेशन एवं डिजिटल बैंकिंग 4

जी.एस.टी. 6

कानूनी हिंदी का प्रभाव 7

जननी से सेवक तक 11

ईमानदारी एक जीवन शैली 12

हमारे देश में भ्रष्टाचार 14

कोंकण रेलवे की नई आपूर्ति 16

बायो डाइजेस्टर 17

श्रेष्ठ सेवा उचित व्यवहार चले नए क्षितिज की ओर 18

इमानदारी हीच जीवनशैली (मराठी आलेख) 19

थर्ड जेंडर के दर्द की दास्तान 20

कविताए... 21

अध्यक्ष
अतुल सातपुते
अध्यक्ष एवं उप महाप्रबंधक,
बैंक ऑफ इंडिया

संपादक
निरंजन कुमार सामरिया
सदस्य सचिव
एवं वरिष्ठ प्रबंधक राजभाषा,
बैंक ऑफ इंडिया

संपादन सहयोग
पुरुषोत्तम डोंगरे
आकाशवाणी

लक्ष्मीकांत भाटकर
सीमा शुल्क

सतीश रानडे
न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी

संतोष पाटोळे
कोंकण रेलवे

सूरज माने
बैंक ऑफ इंडिया

विकास हेलोडे
न्यू इंडिया एश्योरन्स कंपनी

फत्तेसिंह यादव
भारतीय जीवन बीमा निगम

मुखपृष्ठ
श्रीमती वंदना
वरिष्ठ प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया

संपर्क कार्यालय : अध्यक्ष, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, बैंक ऑफ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, रत्नागिरी महाराष्ट्र - 415 639.
ई-मेल - ratnasindhu10@gmail.com, वेबसाइट - http://narakasratnagiri.co.in.

• प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार रचनाकारों के स्वयं के है। अतः यह आवश्यक नहीं की इनसे सम्पादक मण्डल सहमत हो।

आप की राय...

तिरुवल्ला नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विकास

आपके कार्यालय द्वारा भेजी गई 'राजभाषा रत्नसिंधु के 13 वें अंक की प्रति हमारे कार्यालय में प्राप्त हुई। पत्रिका के लिए हार्दिक धन्यवाद। हर लेख बेहतर है और इसके लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास के लिए बधाइयाँ। 'सकारात्मक सोच सफलता का मंत्र' एक बेहतर विचार है। श्री. सौरभ कोटुरवार, बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लिखित 'पिता', मनिष पड़िया की 'ऐ वक्त' तथा प्रशांत बापुराव शिंदे की 'धर्म' आदि कविताएं बहुत सुंदर हैं। 'भारत की कृषि प्रणाली', 'हिंदी और भारतीय भाषाएं' निबंध अच्छे लगे।

आपकी नराकास द्वारा आयोजित हिंदी पखवाडा, बैठक आदि की झलकियाँ राजभाषा की ओर आपके समर्पित काम की निशानी है। प्रकाशन से जुड़े सभी को हार्दिक बधाइयाँ। आगामी अंक की सफलता हेतु शुभकामनाएँ।

- हिंदी अनुवादक एवं सदस्य सचिव
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, तिरुवल्ला, केरल

कार्यालय नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, करनाल

आपके नराकास कार्यालय से 'राजभाषा रत्नसिंधु' पत्रिका (अंक 13, जून 2019) की एक प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका के उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए अध्यक्ष, नराकास रत्नागिरी / आँचलिक प्रबंधक, बैंक ऑफ इंड़िया, रत्नागिरी अंचल कार्यालय, शिवाजीनगर रत्नागिरी तथा उनके काबिल मार्गदर्शन में कार्य करने वाले समिति के सदस्य सचिव श्री. रमेश गायकवाड, वरिष्ठ प्रबंधक व सुधी संपादक मंडली को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं।

आपकी पत्रिका के मुख्य कवर पृष्ठ पर प्रकृति की अनुपम छटा को प्रदर्शित करते नदी किनारे स्थित छोटी-छोटी पहाड़ियों व वृक्षों के चित्र सजीव जान पड़ते हैं। पत्रिका में 'वाह बच्चो' शीर्षक से मेघावी बच्चों की उत्कृष्ट शैक्षणिक उपलब्धियों को शामिल किया जाना सराहनीय है। पत्रिका की सभी रचनाएं उत्तम हैं। विशेष रुप से सतीश ए. धुरी द्वारा 'रोजगार के क्षेत्र में हिंदी के बढ़ते', 'वरिष्ठ कार्यपालकों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली टिप्पणियाँ' एवं बाबासाहेब सुरेन्द्र नाडगे द्वारा 'मराठी लेख - 5 जून, जागतिक पर्यावरण दिन' सराहनीय हैं। नगर स्तरीय प्रतियोगिताओं की सचित्र जानकारी भी उल्लेखनीय व अनुकरणीय है।

- राकेश कुमार कुशवाहा
सदस्य सचिव, नराकास, करनाल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, भिलाई, दुर्ग (छत्तीसगढ़)

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी द्वारा प्रकाशित हिंदी गृह पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु' के 13 वे अंक की नवीनतम प्रति प्राप्त हुई, एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में प्रकाशित सामग्री काफी रोचक ज्ञानवर्धक एवं उपयोगी है।

डॉ. बी. एम. तिवारी, सहायक महाप्रबन्धक
(राजभाषा) एवं सचिव, नराकास, भिलाई-दुर्ग (छत्तीसगढ़)

भाकृअनुप - केंद्रीय मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी संस्थान का
वेरावल अनु. केन्द्र, वेरावल

आपकी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा प्रकाशित हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु' का अंक इस कार्यालय को प्राप्त हुआ। राजभाषा हिन्दी के प्रयोग की दिशा में आपकी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति का प्रयास सराहनीय है और ऐसे ही आगे बढ़ें।

अध्यक्ष, न. रा. का. स. एवं प्रभारी वैज्ञानिक
भा.कृ.अनु.प. - के.मा.प्रौ.सं., वेरावल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, पन्ना, मध्य प्रदेश

नगर राजभाषा कार्यान्वय समिति, रत्नागिरी की गृह पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु (अंक 13, जून 2019)' प्रेषित करने के लिए धन्यवाद। आपकी गृह पत्रिका निश्चित अंतराल पर प्राप्त होती रहती है जो कि इस कार्यालय द्वारा संग्रहित की गई हैं। पत्रिका के इस अंक का मुखपृष्ठ अत्यंत ही सुंदर एवं मनमोहक है और अनायास ही ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है। प्रकाशित आलेख, गीत/प्रगीत, कविताएँ इत्यादि अत्यंत सारगर्भित और प्रशंसनीय हैं। पत्रिका सम्पादन में परिपक्वता परिलक्षित होती है। पत्रिका के प्रत्येक पृष्ठ की डिजाइनिंग विशेष रूप से प्रशंसनीय है। हिन्दी के अतिरिक्त आंचलिक भाषा में आलेख मुद्रण के लिए मैं संपादक मंडली की विशेष सराहना करता हूँ। आशा है कि भविष्य में भी नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी की गृह-पत्रिका इस कार्यालय को प्राप्त होती रहेगी। सधन्यवाद एवं शुभकामनाओं के साथ।

देबाशीष घोष, सदस्य सचिव, नराकास, पन्ना, मध्यप्रदेश

आप की राय...

आयुध निर्माणी, भुसावल

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी द्वारा प्रकाशित छमाही हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु' के 13 वें अंक की प्राप्ति हुई।

'राजभाषा रत्नसिंधु' में प्रकाशित सभी रचनाएँ उत्कृष्ट कोटि की हैं और रचनाकारों की उत्कृष्ट रचनात्मक प्रतिभा का परिचय देती हैं। इसके निरन्तर प्रकाशन से राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ-साथ कार्यालयों में हिन्दी में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन होना स्वाभाविक है।

'राजभाषा रत्नसिंधु' प्रकाशन की दृष्टि से पूरी तरह सफल है। इसके उत्कृष्ट प्रकाशन हेतु सम्पादक मण्डल को हार्दिक शुभकामनाएँ।

अ. कृ. देशमुख, सदस्य सचिव, नराकास, भुसावल

मुख्य आयकर आयुक्त (सं.नि.प्रा.) का कार्यालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र

आपकी छमाही हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु' का 13 वां अंक मिला।

सुन्दर और आकर्षक आवरण पृष्ठ के साथ पत्रिका में छपी सभी रचनाएँ अच्छी लगीं जिसमें एक ओर रचनाकारों ने अपनी प्रखर लेखन प्रतिभा से पत्रिका को रोचक, ज्ञानवर्धक और संग्रहणीय बना दिया है तो संपादक मंडल के सदस्यों ने भी अपनी परिपक्व संपादन कला का परिचय दिया है। राजभाषा हिंदी के संवर्धन और विकास में योगदान देने के लिए संपादक मंडल के सभी सदस्य और रचनाकारों को हार्दिक बधाई। पत्रिका के नवीन अंकों की प्रतीक्षा के साथ शुभकामनाएँ।

रामलाल शर्मा, सहायक निदेशक (रा.भा.)
प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र, गुवाहाटी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कारैकुडी

राजभाषा पत्रिका रत्नसिंधु 13 वें अंक की प्रति प्राप्त हुई। धन्यवाद। हमें स्त्री सुरक्षा एवं सम्मान, हिंदी और भारतीय भाषाएं, राष्ट्रपिता - महात्मा गांधी आदि विभिन्न आयोजनों को दर्शाते चित्र सहित पत्रिका जानकारी से पूर्ण एवं रोचक हैं। नराकास, कारैकुडी की ओर से नराकास, रत्नागिरी को हार्दिक बधाई और हिंदी के प्रचार-प्रचार में आपके द्वारा किए जा रहे सभी प्रयासों के लिए हमारी ओर से बहुत-बहुत शुभकामनाएं।

के. आर. कुमरेश बापु, वरि. हिंदी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, कारैकुडी

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, मंगलूर

आपके द्वारा प्रेषित हिन्दी पत्रिका 'राजभाषा रत्नसिंधु' का जून 2019 अंक प्राप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। पत्रिका की साज सज्जा बहुत ही सुंदर और मोहक है एवं प्रकाशित कविताएँ और लेख रोचक एवं आकर्षक हैं। डॉ. रवि गिरहे का भारतेन्दु हरिश्चंद्र पर आलेख एवं श्री. सी. जे. महामुलकर का आलेख 'हिन्दी और भारतीय भाषाएँ' उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त विविध विषयों को समेटती अन्य सभी रचनाएँ प्रशंसनीय हैं।

इस सुंदर अंक को प्रकाशित करने के लिए आपको एवं संपादक मंडल को हार्दिक बधाई।

अम्बरीष कुमार सिंह, सदस्य सचिव, नराकास मंगलुरू
एवं सहा. महाप्रबन्धक, राजभाषा प्रभाग- कार्पोरेशन बैंक प्रधान कार्या.

भारत सरकार आयकर विभाग, आयकर भवन, चण्डीगढ़

आपकी समिति की हिंदी छमाही पत्रिका रत्नसिंधु के 13 वें अंक की प्रति प्राप्त हुई, धन्यवाद। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं आंतरिक साज-सज्जा आकर्षक है। भारतीय गाथा के महान रत्नों के जीवन से अवगत कराती पत्रिका सराहनीय है। पत्रिका में समाहित रचनाएं जैसे 'सकारात्मक सोच - सफलता एक मंत्र', 'स्त्री सुरक्षा एवं सम्मान', 'हिंदी और भारतीय भाषाएं', 'हमारा आधुनिक डाक विभाग', 'संरक्षण - प्राकृतिक सम्पदाओं का' आदि प्रेरणादायक और उल्लेखनीय हैं। विभिन्न गतिविधियों के छायाचित्रों के समावेश से पत्रिका की शोभा में वृद्धि हुई है।

प्रकाशन से जुड़े समस्त कार्मिकों एवं संपादक मंडल को बधाई एवं आगामी अंक के प्रकाशन हेतु शुभकामनाएं।

- नीना मल्होत्रा, सहायक निदेशक (रा.भा.) एवं सचिव, नराकास चण्डीगढ़।

ग्राहक सेवा के मायने

ग्राहक हमारे परिसर में आने वाला महत्त्वपूर्ण व्यक्ति है। वह हमारे व्यवसाय के लिए कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि व्यवसाय का ही अंग होता है। ग्राहक हम पर निर्भर नहीं, हम उन पर निर्भर हैं। वे हमारे काम में कोई व्यवधान नहीं हैं, बल्कि वे इसका उद्देश्य हैं। एक ग्राहक सिर्फ नकदी रजिस्टर या पैसा नहीं है, वह भावनाओं के साथ मनुष्य है और सम्मान के साथ व्यवहार के काबिल है। ग्राहक सबसे अधिक विनम्र ध्यान के पात्र हैं और वे हर व्यवसाय का जीवन रस हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में - ''ग्राहक की सेवा करके हम उस पर कोई उपकार नहीं करते हैं बल्कि हमें सेवा का मौका देकर वह हम पर उपकार करता है''।

ग्राहक सेवा वह समर्थन है जो हम अपने ग्राहकों को किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने से पहले या उनका उपयोग करने के बाद प्रदान करते हैं। इससे ग्राहक हमारे साथ एक सुखद और सहज अनुभूति का एहसास करता है। यदि हम अपने ग्राहकों को बनाए रखना चाहते हैं या अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो अद्भुत ग्राहक सेवा प्रदान करना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है। ग्राहक सेवा सिर्फ सहायता के नाम पर उत्तर देना नहीं, अपितु हमारे द्वारा ग्राहक को किए गए वादे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अतः ग्राहक सेवा, ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के दौरान पेशेवर, उच्च गुणवत्ता सेवा और सहायता प्रदान कर उनकी जरुरतों का ख्याल रखना है। ग्राहक सेवा (SERVICE) की भावनाओं को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं :-

S - Smile (मुस्कान)
E - Enterprising (उद्यमी)
R - Response (प्रतिक्रिया)
V - Vibrant (जीवंत)
I - Innovative (अभिनव)
C - Care (परवाह)
E - Enthusiasm (उत्साह)

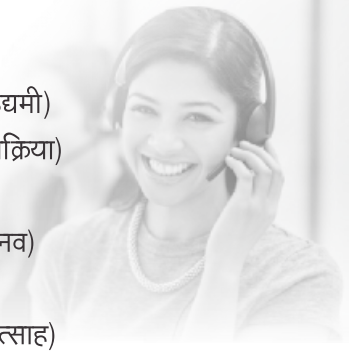

इसमे कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आज के उपभोक्ता अपनी चाहतों को प्राप्त करने के आदी हो गए हैं और उनकी उम्मीद भी तदनुसार बढ़ गयी है। यह देखा गया है कि आज अधिकतर ग्राहकों की अपेक्षाएँ आज से तीन साल पहले की तुलना मे बहुत हद तक बढ़ गयी हैं। आज के ग्राहक अपने नकारात्मक अनुभवों को तुरंत ऑनलाइन साझा करने में बिलकुल भी देर नहीं करते जिससे व्यवसाय की छवि पर विपरीत प्रभाव पडता है। अतः प्रथम दिन से ही अच्छी ग्राहक सेवा प्रदान करना ही मूल मंत्र है। अपने ग्राहकों के अनुभव पर ध्यान रखना स्मार्ट व्यवसाय का ही अंग है। अच्छी ग्राहक सेवा किसी भी व्यवसाय की निचली रेखा (बॉटम लाइन) को लाभान्वित करता है। चूंकि ग्राहक सेवा व्यवसाय की सफलता का एक प्रमुख चालक है, हर एक को इसे समझने एवं इस दिशा में सक्रिय योगदान देने की कोशिश करनी चाहिए। ग्राहक सेवा को जैसे भी परिभाषित करें, निम्नलिखित कुछ कोशिशों से सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा प्रदान करने में हम काफी हद तक सक्षम हो सकते हैं :

1. ग्राहकों के मुद्दों को सुनने का समय निकालें और यह समझने की कोशिश करें कि इससे उनका व्यवसाय कैसे प्रभावित होता है। एक ग्राहक सच्चाई से ज्यादा की उम्मीद नहीं रखता। खुले माहौल में अपने ग्राहक से बात करना, समय पर उचित सूचनाएँ प्रदान कर ही हम अपने ग्राहकों के सम्मान और प्रतिबद्धता को प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जब लोग मानने लगेंगे कि हम उनकी जरूरतों को महत्व देते हैं तो वे हमारे साथ सदैव बने रहेंगे।

2. अपनी सेवा में व्यक्तित्व को जोड़ने से न डरें। ग्राहकों को एहसास दिलाएँ कि आप रोबोट नहीं है। ग्राहकों की जिज्ञासाओं को मैत्रीपूर्ण, व्यक्तिगत रूप से निपटाना सबसे बड़ी कला है। ग्राहकों की समस्याओं को उनके दृष्टिकोण से देखें। इससे न केवल वे आपकी सराहना करेंगे बल्कि यह हमारे प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का भी कारण होगा।

3. किसी भी व्यवसाय के लिए अच्छे शिष्टाचार का उपयोग उचित है। 'हैलो', 'सर', 'नमस्कार', 'महाशय', 'धन्यवाद', जैसे शब्दों का प्रयोग भी ग्राहक सेवा है। इसके साथ ही ग्राहकों के नाम का उपयोग भी निष्ठा पैदा करने में काफी प्रभावी होता है। ग्राहकों को यह एटीट्यूड काफी पसंद तो आता ही है, उसे आत्मविश्वास से भरा कदम भी लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि जिनके साथ वे जुड़े हैं, वे लोग उन्हें व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं।

4. ग्राहकों को इंतजार करना बिलकुल पसंद नहीं होता। जल्द से जल्द अपनी प्रतिक्रिया एवं उनकी समस्याओं को हल कर हम ग्राहकों के आत्मविश्वास को बढ़ावा दे सकते हैं। एक ग्राहक की सहायता करने में लगने वाले समय को कम कर हम अन्य ग्राहकों के इंतजार के समय को कम कर सकते हैं। ग्राहक प्रतिधारण लाभदायक है। 24 घंटे के भीतर एक शिकायत के हल का परिणाम 96% ग्राहक को जोड़ने में सहायक होता है। 5 % ग्राहक प्रतिधारण से व्यवसाय के मुनाफे में 100 % बढ़ावा कर सकते हैं।

5. अपने उत्पादों के बारे में हमें जितनी अधिक जानकारी होगी उतनी ही अच्छी ग्राहक सेवा हम उन्हें दे सकते हैं। इसके लिए समय समय पर प्रशिक्षण, ज्ञान के साझा किए जाने पर विशेष ध्यान देना भी अति महत्वपूर्ण है। माइक्रोसॉफ्ट के श्री बिलगेट्स के शब्दों में - ''सबसे असंतुष्ट ग्राहक हमारे सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है''।

मुझ सहित बहुत सारे लोग ग्राहक सेवा के बारे में फेंसी बातें करते हैं लेकिन यह एक पूरा दिन चलने वाली, कभी न खत्म होने वाली, निरंतरता वाली एक गतिविधि है। जो संगठन ग्राहक सेवा को गंभीरता से लेते हैं, जुनून और उत्साह के साथ दृष्टिकोण रखते हैं, वे संगठन को समृद्ध करते हैं और अपने प्रतिद्वंद्वियों के बीच में विशिष्टता प्राप्त कर लेते हैं।

प्रदीप प्रामाणिक
मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ़ इंड़िया

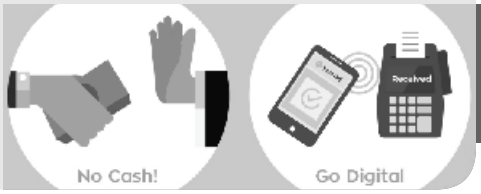

वित्तीय समावेशन और डिजिटल बैंकिंग

भारतीय अर्थव्यवस्था का आज का रुख कई हद तक सामाजिक उन्नति एवं जनकल्याण पर केन्द्रित होता दिखाई देता है। वित्तीय समावेशन के सभी सरकारी कार्यक्रम इसी दावे को मजबूती दे रहे है। समाज के हर एक अंग को मुख्य धारा से जोड़ना यह वित्तीय समावेशन का मूल उद्देश्य है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समाज के पिछड़े व अल्प आय वाले पात्र लोगों को वित्तीय सेवाएँ योग्य मूल्य पर उपलब्ध कराना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। इस प्रकार की सेवाएँ प्रदान करने हेतु हमारे देश मे विभिन्न वित्तीय संस्थाओं का निर्माण छोटे-बड़े पैमाने पर शुरू किया गया जिनमें बैंकों का अहम किरदार रहा है।

बैंकिंग विनियमन एक्ट - 1949 की धारा 5 (1) (ब) के अनुसार बैंकिंग की व्याख्या की गई हैं। ग्राहकों से ली गई पूँजी उनकी मांग पर लौटाना तथा जमा-पूँजी का कुछ हिस्सा ग्राहकों को ऋण के रूप में ब्याज पर आबंटित करना ही बैंकिंग कहलाता हैं। बैंकिंग की यह मूल परिभाषा आज 2019 तक बहुत ही विस्तृत हुई दिखाई देती है। बैंकिंग व्यवसाय का मूल ढाँचा तो पूँजी स्वीकार कर ऋण आबंटित करना ही रहा हैं यद्यपि अगर भारतीय बैंकिंग के 200 साल के समृद्ध इतिहास को देखा जाए तो समय एवं आवश्यकता अनुसार काफ़ी बदलाव दिखते हैं। 1770 मे अलेक्जेंडर तथा कंपनी द्वारा भारत में 'बैंक ऑफ हिंदुस्तान' की स्थापना की गयी। भारत मे आधुनिक बैंकिंग की शुरुआत ब्रिटिश राज द्वारा स्थापित 3 प्रेसीडेंसी बैंकों से हुई। इन्ही 3 बैंकों के विलय से इंपीरियल बैंक का आगाज हुआ, जो 1955 से 'भारतीय स्टेट बैंक' के नाम से जानी जाती है। 1865 में स्थापित 'इलाहाबाद बैंक' भारत का पहला निजी बैंक है। उसके बाद 1894 में पीएनबी, 1906 में बीओआई, 1908 में बीओबी तथा अन्य बड़े बैंकों की नीव रखी गई। दरअसल इन सभी का स्वामित्व तथा नियंत्रण निजी स्वरुप का था। 1 अप्रैल 1935 में 'भारतीय रिजर्व बैंक' सर्वोच्च नियंत्रक के रूप में स्थापित हुआ। 19 जुलाई 1969 को 14 बैंको तथा 15 अप्रैल 1980 को 6 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

भारतीय बैंकिंग के इतिहास में यह कालखंड बहुत ही अहम माना जाता हैं। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों द्वारा सरकारी नीतियों तथा योजनाओं को अवाम तक पहुंचाया जाने लगा। असल रूप में देखा जाए तो 1980 के बाद वित्तीय समावेशन की रफ्तार को और बढ़ाया गया। 2008 की रंगराजन समिति की सिफारिशों के चलते हमारे देश मे वित्तीय समावेशन को प्रमुख सरकारी नीतियों में शुमार कर लिया गया है। कुछ साल पहले 40 फीसदी जनसंख्या अपने बैंक खातों द्वारा वित्तीय लेन-देन करती थी, जो आज बढ़कर 70 फीसदी तक पहुँच चुकी है। 'अपना खाता भाग्यविधाता' के मंत्र ने गरीब तथा ग्रामीण जनता का निजी साहुकारों द्वारा हो रहा शोषण रोक दिया है। अप्रैल 2018 मे विश्व बैंक ने 'ग्लोबल फिनडेक्स रिपोर्ट' जारी की जिसमें भारत में चल रहे वित्तीय समावेशन के प्रयासों की विशेष रूप से प्रशंसा की गई है।

जन धन योजना के तहत देश में 2014 से सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चल रहा हैं। इसमें 316.6 मिलियन खाते मई 2018 तक खोले जा चुके हैं जिनमें 17 फीसदी खातों में शून्य राशि जमा हैं। अन्य 83 फीसदी खातों में रु. 812035 मिलियन जमा राशि है। ये खाते रु. 5000 के ओवरड्राफ्ट के लिए भी पात्र है। वित्तीय समावेशन की मुख्य योजनाओं में रु 2.00 लाख बीमा की प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (वार्षिक प्रिमियम रु. 330.00) और प्रधानमत्री सुरक्षा बीमा योजना (वार्षिक प्रिमियम रु. 12.00) शामिल है। बुढ़ापे के वक्त अपने हक की कुछ रकम मिल जाए और वृद्ध जीवन सम्मानपूर्ण रहे, इस हेतु अटल पेंशन योजना सफलता के साथ चलायी जा रही है। आयुष्यमान भारत योजना वित्तीय समावेशन की नीति को शिखर तक ले जाती है जो आज विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत रु. 50000.00 से लेकर रु. 10.00 लाख तक के शिशु, किशोर व तरुण प्रकार के ऋण आबंटित किए जा रहे हैं। हाल ही में सरकार ने मुद्रा ऋण के पुनर्गठन संबंधी सख्त निर्देश दिए हैं जिससे छोटे उद्यमियों कों काफी राहत मिल रही है। आधार कार्ड्स ग्राहकों के खातों से बड़े पैमाने पर जोड़े गए हैं। कई सरकारी योजनाओं का लाभांश तथा अनुवृत्ति पारदर्शकता के साथ आज 'प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण' के जरिए जनता कों मिल रहा है। बैंकिंग कोरस्पोंडेंट्स के सहायता से दुर्गम तथा गैरबैंकिंग क्षेत्रों में भी आज बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा रही हैं। बेशक बैंकिंग का जाल तकनीकीपूर्ण फैलता जा रहा हैं। ग्राहकों की संख्या भी हर दिन बढ़ रही हैं। वित्तीय समावेशन का स्तंभ जे. ए. एम. त्रिसूत्र (जनधन-आधार-मोबाइल) पर निर्भर करता है।

वित्तीय समावेशन में पारदर्शकता एवं प्राप्त गति का श्रेय डिजिटल बैंकिंग को जाता है। इंटरनेट की सहायता से मोबाइल फोन, कम्प्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक साधन के जरिए बैंकिंग सेवाओं का ऑनलाईन लाभ लेना ही सरल रूप में डिजिटल बैंकिंग हैं। बैंकिंग के शुरू के दौर में ग्राहकों के खाते तथा अन्य जानकारी लेजरों पे लिखी जाती थी। ग्राहकों को बैंक से जुड़ी किसी भी सेवा का लाभ लेना हो तो उन्हें शारीरिक रूप से बैंक की किसी शाखा मे जाना ही पड़ता था। 1960 में एटीएम तथा 1980 में हुए इंटरनेट बैंकिंग के आगाज के साथ आज 2019 में बैंकिंग परिवेश तकनीकीयुक्त और विस्तृत हुआ है। 2012 में रुपे कार्ड के जरिए भारत ने डेबिट कार्ड्स मार्केट मे अपना सिक्का जमा लिया हैं। प्रधानमंत्री की अगस्त 2019 की विदेश यात्रा से एशियाई देशों में रूपे डेबिट कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है। आज मोबाइल पर बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराई गयी हैं। विश्व अभ्यास रिपोर्ट के अनुसार भारत में 60 फीसदी लोग स्मार्ट फोन के जरिए बैंकिंग सेवा प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग काफ़ी सहज, सरल, सुलभ एवं तकनीकीयुक्त है। विविध प्रकार के खाते जैसे बचत, चालू तथा ऋण खाते कम्प्यूटर की सहायता से खोले जाते हैं। उनका रखरखाव भी ऑनलाइन ही होता हैं। आज ग्राहक शाखा में न जाकर भी अपने खातों से डिजिटल साधन के मंच से लेन-देन कर सकते हैं। मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग तथा भीम, चिलर, बीओआई मोबाइल, योनो, स्टार टोकन एनजी जैसे विविध बैंकिंग ऐप की देन से ग्राहकों को 24 घंटे X 7 दिन बैंकिंग सुविधा उपलब्ध हो चुकी हैं। एटीएम, कॅश डिपॉज़िट मशीन तथा ई-गैलरी से कई सुविधाएँ आज

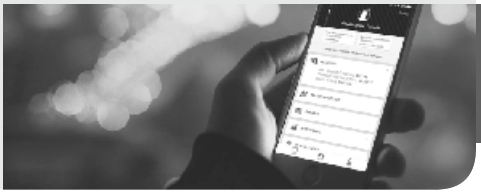

आसानी से मिल जाती हैं। कान्टैक्टलेस कार्ड भी आज ग्राहकों ने स्वीकार किए हैं। एचडीएफसी बैंक की बंगलुरू शाखा ने तकनीक से परिपूर्ण 'इंटरआक्टीव हुमनोइड' आईआरए 2.0 का रोपण किया हैं जो आवाज पर आधारित नेविगेशन तकनीक से कार्य करता हैं। सिडबी ने 'उद्यममित्रा' के तहत नए एवं होनहार उद्यमियों के लिए एक सराहनीय अभियान शुरू किया हैं। ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र में अग्रसर नाबार्ड ने कई राज्यों को सहायता राशि प्रदान की है। गृहवित्त के लिए विशिष्ट रुप से कार्य करनेवाली 'एनएचबी' ने 50 प्रमुख शहरों में 'रेसिडेक्स' नाम से एक मालमत्ता निर्देशांक बनाया हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए सालाना रु. 15 लाख तक की 'इन्स्टा - ओडी' सुविधा शुरू की हैं। 59 मिनिट में एसएमई ऋण की ऑनलाइन सुविधा बहुत सफल हो रही है। आज के इस तकनीकी दौर में कई बैंक नए-नए उत्पादों के साथ कारोबार बढ़ा रहे हैं। डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन ने हमारा जीवन स्तर ऊंचा कर दिया है फिर भी इसमें और सुधार के आसार मालूम होते हैं।

वित्तीय समावेशन के कार्यक्रम आज भी समाज के कुछ हिस्सों तक पूरी तरह से नहीं पहुँच पाए हैं। पिछड़े तथा गरीब लोगों में इसके प्रति जागरुकता अभियान बड़े पैमाने पर चलाना वक्त की मांग हैं। ओटीपी, क्यूआर कोड व पिन जैसे संवेदनशील जानकारी किसी अन्य व्यक्ति को देने में बड़ा खतरा है। इसी कारण धोखाधड़ी के कई मामले दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं। आरबीआई की वार्षिक रिपोर्ट अनुसार 2018-2019 बैंक धोखाधड़ी के मामले 74 फीसदी तक बढ़ गए हैं जिनमें रु. 71543.00 करोड़ की राशि जुड़ी हुई है। डिजिटल बैंकिंग से जुड़ी सुरक्षा की समस्या का हल सभी के डिजिटल साक्षर होने में हैं तथा अपनी अहम और निजी जानकारी को संभाले रखना यह मूल जिम्मेदारी बन जाना अनिवार्य हो गया है।

सभी चुनौतियों से लड़कर राष्ट्र निर्माण, समाज उन्नति तथा व्यक्ति के समग्र विकास की पूरी क्षमता डिजिटल बैंकिंग के जरिए वित्तीय समावेशन मे समाविष्ट है।

सूरज महादेव माने
बैंक ऑफ इंड़िया, मारुती मंदिर शाखा

जीएसटी (GST)

जीएसटी का पूरा नाम ''वस्तु एवं सेवा कर'' है जिसे हम अंग्रेजी में Goods and Services Tax (GST) भी कहते हैं। जीएसटी भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई एक नई टैक्स प्रणाली है जिसने पुराने सभी लगाए जाने वाले टैक्स को हटाकर सिर्फ एक टैक्स के रूप में जगह बना ली है । वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 की मध्यरात्रि से लागू एक महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है जिसे सरकार एवं कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया गया है।

विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी का आरंभ सन 1954 में फ्रांस सरकार द्वारा किया गया था । वर्तमान में यह विश्व के 160 से अधिक देशों में स्थापित किया जा चुका है । बहुत से देशों में जीएसटी को सिर्फ एक दर से ही लिया जा रहा है। कई देशों जैसे कनाडा व ब्राज़ील में दोहरा जीएसटी मॉडल अपनाते हैं जिसमें टैक्स दो सरकारों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। भारत सरकार के जीएसटी की सरंचना कनाडा में प्रचलित वर्तमान दोहरी टैक्स प्रणाली से ली गई है।

जीएसटी क्या है : एक व्यक्ति अपना जीवन जीने के लिए हर दिन बहुत सारी चीजें (गुड्स) खरीदता है और कई सेवाओं का भी उपयोग करता है जैसे ट्रेन टिकिट, बस टिकिट आदि अर्थात जीएसटी इन्हीं दो चीजों पर आधारित है और लगाया जाता है। ये एक अप्रत्यक्ष कर प्रणाली है । इसने केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अलग-अलग स्तर पर लगाए जाने वाले 17 से अधिक करों जैसे वैट, मनोरंजन कर आदि को एक कर (जीएसटी) में मिला दिया गया है। यानी कारोबारियों को बार-बार टैक्स नही देना पड़ेगा, सिर्फ एक बार ही टैक्स देने के लिए जीएसटी काऊंसिल 66 तरह के सामानों में टैक्स दरों को अलग-अलग टैक्स स्लेबों (0%, 5%, 12%, 18%, 28%) में विभाजित किया है । इन टैक्स दरों की पहचान के लिए एचएसएन कोड होता है जो कि 4 ते 8 डिजिट का अंकगणितीय कोड होता है।

इससे भारत को 'एक राष्ट्र, एक कर, एक बाजार' बनाने में मदद मिली है। जीएसटी लागू करने से पहले केंद्र एवं राज्य सरकार किसी सामान पर 30-35% तक का टैक्स वसूलती थी और किसी सामान पर तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर 50% तक हो जाता था लेकिन जीएसटी आने के बाद से किसी सामान पर 28% से अधिक कर नही लगाया जा सकता है।

उदाहरण - आप जो वस्तु प्रयोग करते हैं वो आप तक कई चरणों से होकर गुजरती है। जब किसी कंपनी में कोई उत्पाद बनाया जाता है तो उसके पहले कच्चा माल मंगाया जाता है जो वैट (VAT) लगाकर कंपनी को मिलता है, फिर कंपनी वाले उससे उत्पाद बनाते हैं और उसके बाद ये उत्पाद थोक विक्रेता के पास पहुचता है जिस पर वैट और उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। थोक विक्रेता इसी सामान में वैट जोड़कर रिटेलर को बेचता है। अंत में खुदरा व्यापारी कुछ वैट और लगाकर ग्राहक को बेच देता है।

जीएसटी के प्रकार : जीएसटी को मुख्यतः चार प्रकारों में बांटा गया है।

1. सीजीएसटी (CGST) - इसका पूरा नाम 'केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर' है जिसे केंद्र सरकार द्वारा किसी राज्य के अंदर होने वाले लेन-देन पर लगाया जाता है। इसका राजस्व केंद्र सरकार के पास ही रहता है।
2. एसजीएसटी (SGST) - इसका पूरा नाम 'राज्य वस्तु एवं सेवा कर' है। ये राज्यों द्वारा लगाया जाने वाला कर है । इसका राजस्व राज्य सरकारों के पास ही रहता है।
3. आईजीएसटी (IGST) - इसका पूरा नाम 'एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर' है। जब कोई वस्तु या सेवा एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजी जाती है तो इसमें टैक्स दोनों राज्यों एवं केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है और इसका राजस्व जीएसटी काउंसिल द्वारा निर्धारित दर पर राज्य एवं केंद्र में वितरित किया जाता है।
4. यूटीजीएसटी (UTGST) - इसका पूरा नाम 'केंद्रशासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर' है। भारत के पाँच केंद्रशासित प्रदेश हैं। वहाँ जो भी वस्तु और सर्विस दी जाती हैं, उन पर यूटीजीएसटी लागू होता है।

जीएसटी की दर : 1. 0% - खाने वाली चीजें जैसे मछली, चिकन, अंडा, दही, फल, आटा, बेसन और रोटी आदि। 2. 5% - कोयला, दवाएँ, काजू, स्टांप्स पोस्ट, कॉफी, चाय, मसाले आदि। 3. 12 % - आयुर्वेदिक दवाएँ, टूथ पाउडर, सेविंग मशीन, चश्में, छाता आदि। 4. 18% - कैमरा, स्पीकर, मॉनिटर, स्टील प्रोडक्टस, साबुन, टिशु पेपर आदि। 5. 28% - चॉकलेट, पान मसाला, सोडा वॉटर, शेम्पू, सेविंग क्रीम, वैक्यूम क्लीनर आदि।

जीएसटी के फायदे : 1. टैक्स पर टैक्स से छुटकारा । 2. किसी भी राज्य में सामान का सिर्फ एक दाम। 3. वस्तु एवं सेवा की कीमत हुई सस्ती। 4. आसान अनुपालन, पारदर्शिता। 5. विनिर्माताओं और निर्यातकों को लाभ।

जीएसटी के नुकसान :

1. सर्विस टैक्स में बढ़ोत्तरी। 2. राज्य कर राजस्व में कमी। 3. बैंकिंग में प्रभावी दर में बढोत्तरी।

जीएसटी काउंसिल : जीएसटी बिल को राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद सरकार ने जीएसटी काउंसिल के गठन, कार्यप्रणाली, प्रक्रिया को मंजूरी दी। इस काउंसिल में कुल 33 सदस्य होंगे जिसमे वित्त मंत्री इस काउंसिल के अध्यक्ष और राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होंगे। ये काउंसिल मुख्य रुप से जीएसटी की दर पर फैसला लेगी जो इसके बिल में एक अहम शर्त थी।

जीएसटी रिटर्न : जीएसटी रिटर्न भरने के लिए जीएसटीएन जरुरी होता है। जैसे इन्कम टैक्स भरने के लिए पैन नंबर। यह उन कारोबारियों के लिए आवश्यक है जिनका वार्षिक टर्नओवर 40 लाख के पार होता है। जीएसटी लागू होने के बाद 38 लाख नए कर अदाकर्ता पंजीकृत हुए हैं। इनकी कुल संख्या 1 करोड़ के पार हो चुकी है।

हंस राम मीना
केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर

कानूनी हिंदी का प्रभाव

बढ़ते वैश्वीकरण की चुनौती और कॉर्पोरेट क्षेत्र की आवश्यकता ने अंग्रेजी भाषा से जहां प्रगति, विकास और पदोन्नति को जोड़ दिया है, वही समय-समय पर इस मुद्दे ने जोर पकड़ा है कि कानून या न्याय प्रशासन के लिए ऐसी भाषा का होना बहुत आवश्यक है जो लोगों द्वारा आसानी से समझी जा सके क्योंकि विधि (कानून) की अज्ञानता कोई बचाव प्रस्तुत नहीं करती है।

19 अगस्त, 2014 को अधिवक्ता तिवारी ने कानूनी हिंदी के पक्ष में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया तथा जबाब मांगा जिसमें अदालत की कार्यवाही के संचालन के लिए हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने हेतु संविधान के अनुच्छेद 348 में संशोधन की बात की गई है।

उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने तमिलनाडू में हिंदी भाषा विरोधी आंदोलन के दौरान हिंदी के अधिरोपण का विरोध किया, किंतु चैन्नई में विश्वविद्यालय के समारोह के दौरान तमिलों को हिंदी सीखने की सलाह दी, क्योंकि हिंदी का क्षेत्र बहुत व्यापक है।

कानूनी हिंदी का प्रभाव संविधान की भावना के अनुकूल नहीं है, इसलिए भारत के संविधान ने हिंदी को देश के राजकाज की भाषा तथा अन्य भारतीय भाषाओं को प्रदेश के राजकाज की भाषा का स्थान दिया है जो संविधान की उद्देशिका में वर्णित भारत के लोकतांत्रिक राज्य के स्वप्न के लिए आवश्यक था, किन्तु न्यायपालिका के लिए संविधान की भावना के अनुकूल खुद को ढाल सकना संभव नहीं हो सका, जिसके अनेक दृष्टांत निम्नानुसार हैं -

मधु लिमये बनाम वेदमूर्ति मामला - इस मामलें में श्री राजनारायण अपना निवेदन हिंदी में प्रस्तुत करना चाहते थे, कुछ न्यायाधीश हिंदी में दिए गए तर्कों को समझ नहीं पा रहे थे अतएव अदालत ने उनके सामने तीन विकल्प रखे - एक अंग्रेजी में तर्क करें, दूसरा वे अपने वकील को ऐसा करने की अनुमति दे, या तीसरा, वे अपनी बात लिखित रुप में अंग्रेजी में दें, परंतु श्रा राजनारायण को ये शर्तें मंजूर नहीं थीं। उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि चूंकि अनुच्छेद 348 के अनुसार न्यायालय की भाषा केवल अंग्रेजी है, इसलिए श्री राजनारायण को अपनी बात हिंदी में रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (क) द्वारा प्राप्त मूल अधिकार के नाम पर यदि इसकी अनुमति दे दी जाए तो कोई असमिया में, कोई गुजराती में, कोई तमिल में तो कोई बांग्ला में तर्क करेगा और न्यायाधीशों के लिए यह असमंजस का कारण बनेगा।

श्री राजनारायण ने व्यवस्था तथा सुविधा की दृष्टि से किसी एक ही भाषा जैसेकि अंग्रेजी का होना ठीक माना, किन्तु इस आधार पर हिंदी को अदालत से बाहर रखना न्यायोचित नहीं माना। विख्यात संविधान विशेषज्ञ एच. एम. सीरवाई ने गुजरात विश्वविद्यालय बनाम श्री कृष्ण मधोलकर के मामले पर अपनी राय देते हुए कहा कि हिंदी की संविधान में एक विशिष्ट स्थिति है, इसलिए इसकी तुलना अन्य भारतीय भाषाओं के साथ नहीं की जानी चाहिए।

डॉक्टर सुभाष सी. कश्यप द्वारा उल्लिखित किया गया कि याचिका इस कारण खारिज हो गई है कि वह अंग्रेजी में नहीं, बल्कि हिंदी में है। हिंदी समिति बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया कि किसी एक विशेष भाषा हिंदी के माध्यम से प्रवेश टेस्ट नहीं लेना केवल भाषा के आधार पर प्रवेश से वंचित करना नहीं माना जाएगा।

पिछले दिनों उच्च न्यायालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय की एल.एल.बी. की प्रतियोगी प्रवेश परीक्षा को अंग्रेजी के साथ-साथ हिंदी में भी करने की याचिका को खारिज कर दिया।

गुजरात विश्वविद्यालय बनाम श्री कृष्ण मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि शिक्षा का माध्यम किसी विषय-सूची में वर्णित नहीं है। राज्य विधायिका प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के बारे में भाषा निर्धारित करने का अनन्य अधिकार रखती है। उच्च शिक्षा तथा वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा में शिक्षण का माध्यम निर्धारित करने की शक्ति संसद में है। 42 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के बाद शिक्षा समवर्ती सूची का विषय बन गई है, यद्यपि राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सम्मति से राज्य के न्यायालय की भाषा सुनिश्चित करने की शक्ति रखता है। परंतु सीरवई महोदय के अनुसार, इस तरह की सहमति संभवतः कभी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसमें न्याय-प्रशासन, न्यायालय और बार में एकता सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। संघ सूची 1 की प्रविष्टि 78 उपयुक्त रुप से संसद को यह शक्ति देती है कि उच्च न्यायालयों में वकालत करने के संबंध में कानून बनाएं। इसके अनुसरण में अधिवक्ता अधिनियम 1961 बनाया गया। इस अधिनियम द्वारा एक ऐसे बार की स्थापना हुई जिसमें भाषा को लेकर एकरुपता है अर्थात अभी भाषा नीति ऐसी है कि देश के एक उच्च न्यायालय में कार्य करने वाला अधिवक्ता किसी अन्य उच्च न्यायालय में भी वकालत करने में कोई कठिनाई महसूस नहीं करे।

संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के निर्णय, डिक्री या आदेश के संबंध में इन न्यायालयों की यह बाध्यता है कि वे हर परिस्थिति में अपना निर्णय, डिक्री या आदेश अंग्रेजी में ही दें, जब तक कि संसद विधि द्वारा कोई अन्य व्यवस्था नहीं कर देती, न्यायिक और अर्ध न्यायिक कार्य में संलग्न सरकारी विभागों की बड़ी संख्या हिंदी में आदेश पारित करने में अक्षम हैं किंतु सरकारी अधिकारियों द्वारा हिंदी में आदेश पारित करने से उन्हें कोई नहीं रोकता।

भारत के विधि आयोग की 216 वीं रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की गई। भारत के विधि आयोग ने अनुच्छेद 348 में संशोधन करने की संसदीय समिति की सिफारिश को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि समस्य उच्च न्यायालयों की भाषा भिन्न हुई, तो उच्च न्यायालयों की भाषा-भिन्नता वकीलों के देश में कहीं भी वकालत करने के अधिकार को काल्पनिक बना देगी। जैसे यदि चेन्नई उच्च न्यायालय में केवल तमिल में ही कार्यवाही हो तो उत्तर भारत का वकील वहां वकालत नहीं कर सकेगा। उसी प्रकार यदि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की भाषा सिर्फ हिंदी हो जाए, तो चेन्नई का वकील इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकेगा। उच्च

न्यायालय के निर्णयों में भाषा संबंधी भिन्नता होने से एक उच्च न्यायालय संभवतः अन्य उच्च न्यायालय के निर्णय के लाभ से वंचित हो जाएगा।

अदालत में भाषा नीति को प्रभावित करने वाले कुछ कारण जिसमें कॉमन लॉ प्रणाली विधिशास्त्र के पूर्व निर्णय पर अवलंबित है। पूर्व निर्णय सिर्फ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। हमारी अदालतें स्वतंत्रता के साथ अंग्रेजी, अमेरीकी और राष्ट्रमंडल के पूर्व निर्णयों को आधार बनाती है। हमारे न्यायालयों के निर्णय आजकल विदेशी अदालतों में उल्लिखित किए जा रहे हैं। देश के सभी भागों में विधायी कानून और नियम हिंदी भाषा में उपलब्ध नहीं है, न न्यायाधीशों के लिए, न बार के सदस्यों के लिए और न ही वादी जनता के लिए उपलब्ध है।

भारत ने दूसरे देशों के साथ कराधान विधि एक्सेस अनलॉक के कई करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। कानूनों का निर्वचन पर हमारे यहां दिन-रात काम होता है। राजस्व कानूनों के अलावा कुछ नए विषय जैसे सूचना प्रौद्योगिकी स्टेम सेल डेवलपमेंट और साइबर अपराध से संबंधित कानून, कराधान विधि आदि अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका, कॉमनवेल्थ देश आदि के कानून अंग्रेजी में उपलब्ध है। लोक-विधि, पब्लिक लॉ, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार शासन, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा और तेजी से विकसित होता जा रहा इकनॉमिक लॉ, सीमा पर लेन-देन की प्रणाली आदि विषय हमें विरासत में मिले हैं, उनका एकीकरण अन्य देशों तथा न्यायालय की कानूनी प्रणाली के साथ हो गया है।

कर एवं लेखा परीक्षकों के समुदाय, निवेशक सब अंग्रेजी में कानून तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से वाक्यांश, सैक्जिम्स, सिद्धांत और अभिव्यक्ति सिर्फ अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध है। आज लैटिन के इप्सो फैक्टो (स्वयंमेव ही) और इनिशियो (आरंभ से ही) आदि सूत्रों का प्रचलन है।

टिप्पणियां और कानूनी पत्रिकाएं आदि हिंदी में मुद्रित नहीं है। प्राधिकृत ज्यादातर पाठ्य पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अन्य देशों के कानून की पुस्तकें और पत्रिकाएं जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में मददगार साबित होते हैं, सब अंग्रेजी में हैं। कंप्यूटर क्रांति भी एक कारण है कि विधि साहित्य, कानूनी जानकारी की सूचना अंग्रेजी भाषा से प्राप्त करना अत्यंत सहज हो गया है।

विश्व स्तर पर हिंदी के मेंटर उपलब्ध है, लेकिन उनकी संख्या सीमित है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों स्थानों पर अंग्रेजी मेंटर्स बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं। अहिंदी भाषी हिंदी को विधान की भाषा स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। अनुच्छेद 351 द्वारा हिंदी भाषा के प्रसार-प्रचार के लिए संघ को दिए गए जनादेश के बावजूद देश के कई हिस्सों में अब भी लोग हिंदी से पूरी तरह से परिचित नहीं है।

दक्षिणी राज्य हिंदी में पारित आदेश, फरमान और निर्णय को स्वीकार करने के लिए सहमत नहीं हैं। संसद के सदस्यों की एक बड़ी संख्या, जो अहिंदी भाषी राज्यों से है, हिंदी प्रारूपण को पढ़ने और समझने में सक्षम नहीं हैं और न ही सक्षम बनना चाहते हैं।

सकारात्मक परिवर्तन के ऐसे मामलों की भी कमी नहीं है जिनमें हिंदी के प्रति संवेदनशीलता दिखलाई गई है। सन 1978 के भारत संघ बनाम मुरासोली मारन मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट अभिमत दिया कि हिंदी भाषा में सरकारी काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहित करना संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 343 और 344 की भावना को मूर्त रूप प्रदान करता है। इस मामले में प्रत्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में रिट पिटिशन फाइल किया और घोषणा की कि 1960 में जो राष्ट्रपति आदेश जारी किया गया तथा उसके अनुसरण में जो अन्य आदेश परिपत्र और ज्ञापन जारी किए गए, वे राजभाषा अधिनियम, 1963 की यथा-संशोधित धारा 3(4) से असंगत थे, क्योंकि उन्होंने हिंदी भाषा में प्रवीण न होने के कारण उन व्यक्तियों को अलाभकारी स्थिति में रख दिया था जो पिटिशनरों के सदृश थे। उच्च न्यायालय ने उनकी दलील स्वीकार कर ली और आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया। राज ने इस निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की, उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि राष्ट्रपतीय आदेश विधि मान्य नहीं हो गया है। राष्ट्रपति आदेश में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के अन्तिम उद्देश पर ध्यान रखा गया है। किंतु साथ-साथ देश की परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा गया है कि परिवर्तन क्रमिक होना चाहिए। राष्ट्रपतीय आदेश का प्रयोजन हिंदी भाषा की प्रसार वृद्धि करना और केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए हिंदी भाषा का प्रशिक्षण लेने की सुविधाएं देना है।

1976-77 में आर. आर. दलवाई बनाम तमिलनाडु राज्य मामले में हिंदी की प्रगति में उच्चतम न्यायालय के योगदान की सजगता स्वतः दिखलाई पड़ती है। तमिलनाडु सरकार ने हिंदी विरोधी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की योजना बनाई। अपीलार्थी ने अनुच्छेद 226 के अधीन तमिलनाडु सरकार के हिंदी विरोधी आंदोलनकारियों को पेंशन प्रदान करने की शक्ति को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में आवेदन किया। उसने राज्य की शक्ति को भी चुनौती दी कि राज्य कोष का उपयोग ऐसी संविधान विरोधी बात के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 351 दो टूक शब्दों में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश देता है, परंतु उच्च न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया और कहा कि तमिलनाडु सरकार ऐसा कर सकती है। फिर इसे सर्वोच्च न्यायालय लाया गया, उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा, तमिलनाडु सरकारद्वारा बनाई गई पेंशन योजना में विघटन के तत्व हैं। यह विभाजनकारी प्रवृत्तियों को भड़काते हैं। यदि कोई राज्य हिंदी या किसी अन्य भाषा के विरुद्ध मनोभावों को उत्तेजित करने में लगा हुआ है तो ऐसी प्रेरणा को आरंभ में ही नष्ट करना होगा, क्योंकि यह राष्ट्र विरोधी कार्य है। ऐसा करने वालों को प्रोत्साहन देने से हिंदी के प्रसार की वृद्धि में गतिरोध उत्पन्न होता है और विघटनकारी एवं विभाजनकारी तत्वों को बल मिलता है, अतः पेन्शन योजना अवैध और असंवैधानिक है।

जगदीश सिंह बनाम प्रताप सिंह में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अपनी भाषा को बनाए रखने के लिए अंतर्गत भाषा के लिए आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है।

हिंदी का अंतरराष्ट्रीय विकास - चीनी भाषा के बाद विश्व में सबसे अधिक हिंदी भाषा बोली जाती है। आंकड़ों के अनुसार फिजी, मॉरिशस, गयाना, सुरीनाम, त्रिनिदाद, चीन, सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया, तिब्बत, भूटान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांगलादेश, मालदीव, दक्षिण आफ्रिका आदि की अधिकतर जनता तथा नेपाल के कुछ नागरिक हिंदी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ हिंदी भाषी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी निवास कर रहे हैं। अमेरिका, कनाडा, फ्रान्स, इटली, रुस, स्वीडन, नार्वे, हॉलैंड, पोलैंड, जर्मनी, सऊदी अरब आदि देशों में पर्याप्त मात्रा में हिंदी भाषी जन निवास कर रहे हैं। दुबई की अधिकांश जनता न केवल हिंदी बोलती हैं, बल्कि समझती भी है। व्यावसायिक जरुरत ने भी हिंदी भाषा का इन देशों में प्रसार किया है, क्योंकि अधिकांश विदेशी कंपनियों में हिंदी जानकारों के लिए नौकरी सुलभ हो गई हैं। इससे निश्चित ही हिंदी भाषा का संवर्धन, विकास और प्रसार हो रहा है।

डॉ. जयंती प्रसाद नौटियाल के 2012 के नवीनतम शोध से यह सिद्ध हुआ है कि चीनी जानने वाले 1050 मिलियन हैं और हिंदी जानने वाले 1200 मिलियन हैं। हिंदी के पूरे विश्व में विशाल क्षेत्र की भाषा होने का एक कारण मध्यम वर्ग को अपने में समेटना है। हिंदी को अपनाना बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विवशता है, क्योंकि भारतीयों की मेहनत, प्रतिभा और कुशाग्र बुद्धि ने खुद को प्रमाणिक करके दिखाया है और विश्व के अधिकांश देशों की उन्नति में सहयोग दिया है। भारतीयों की कर्मठता को उपयोग में लाने के लिए कंपनियों की विवशता और इच्छा में हिंदी की शक्ति और सामर्थ्य को बढ़ाना है। वेब, विज्ञापन, संगीत, सिनेमा और बाजार के क्षेत्रों में हिंदी का अंतरराष्ट्रीय विकास 20 वीं शती के अंतिम दशकों में जितनी तेजी से हुआ है, उतना किसी अन्य भाषा में नहीं हुआ है।

विश्व के अनेक देश इस संबंध में इस प्रकार के कानून बना रहे हैं जिससे उनकी अपनी भाषा पुनः अपना स्थान प्राप्त करे और अंग्रेजी उन्हें पदस्थापित न कर पाए। कनाडा तथा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश को कम से कम दो भाषाएं जानना अनिवार्य है। सन 2005-2006 में प्रकाशित द इकोनॉमिस्ट की भाषासंबंधी रपट के अनुसार यूरोपीय संघ में 13 यूरोपीय भाषाएं शासकीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन धीरे-धीरे अंग्रेजी ने अन्य 12 भाषाओं को किनारे कर दिया है। अमरीका में भी अंग्रेजी ने ऐसा किया है। भारत में संस्कृत को पहले शास्त्रीय कहकर अत्यंत सीमित कर दिया गया और आज अन्य भारतीय भाषाओं के साथ भी यही प्रक्रिया जारी है।

हिंदी की स्वीकार्यता : विधि मंत्री श्री पी. गोविंद मेनन की हार्दिक कामना थी कि शीघ्रातिशीघ्र न्यायालयों की कार्यवाहियाँ उस भाषा में हों, जो राज्य की जनता द्वारा अपने पारस्परिक व्यवहार के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। उन्हें यह बात बहुत खलती थी कि अभियुक्त तो कटघरे में अपने ही भाग्य के विषय में आशंकित खड़ा रहता है और न्यायालय में उसके अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष के वकील अंग्रेजी में अपने-अपने तर्क न्यायाधीश के समक्ष रखते हैं, जिन्हें अंग्रेजी न जानने के कारण अभियुक्त समझ नहीं पाता और न्यायाधीश उन तर्कों को सुनकर उसे दंडित करने का निर्णय सुना देता है।

प्रबंधक समिति बनाम जिला परिषद मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में प्रस्तुत की गई, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्यपाल ने 5.09.1969 को जो अधिसूचना दी है, उसके बाद एक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह हिंदी में याचिका दायर कर सके और विनिश्चय कर सके। नरेंद्र कुमार बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णयों, आज्ञप्तियों और आदेशों में हिंदी के प्रयोग को राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 7 के अंतर्गत वैध माना। उच्च न्यायालय ने विचार प्रकट किया कि उच्च न्यायालय की भाषा के संबंध में राजभाषा अधिनियम, 1963 संसद द्वारा पारित है। यह हिंदी में निर्णय का विकल्प देता है, अतः यह नहीं कहा जा सकता है कि निर्णय, आज्ञप्ति या आदेश केवल अंग्रेजी में होंगे।

हिंदी भाषी क्षेत्रों में जिला तथा उच्च न्यायालय स्तर पर हिंदी में कामकाज होता है। हरिकिशन बनाम महाराष्ट्र मामले में निरुद्ध व्यक्ति अंग्रेजी भाषा नहीं जानता था, उसके इस निवेदन को स्वीकार नहीं किया गया कि फैसले के समय हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाए। नैनमल प्रतापमल बनाम भारत संघ मामले में अनुदित आदेश संबंधित व्यक्ति को उसकी परिचित हिंदी भाषा में नहीं बताया गया। अंग्रेजी वह जानता नहीं था। इन मामलों में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि सांविधानिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि निरुद्ध व्यक्ति स्वयं उस भाषा को जानता हो, यदि व्यक्ति अंग्रेजी भाषा नहीं जानता है तो उसे उस भाषा में आधार बताए जाएं, जिससे वह परिचित है।

हिंदी प्रयोग के लिए प्रयास : कानूनी प्रणाली में संवाद का स्तर हिंदी भाषा हो सके, इसके लिए अनेक स्तरों पर प्रयत्न किए गए। राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद की प्रेरणा से भाषा विशेषज्ञ सम्मेलन और विशेषज्ञ अनुवाद समिति के माध्यम से सरकार ने गति दिखलाई। राजभाषा विधायी आयोग एवं इसके उत्तरवर्ती विभाग ने विधि शब्दावली के निर्माण में कतिपय सिद्धांतों का अनुसरण किया। राष्ट्रपति के 1960 के आदेश के पैरा 3 में शब्दावली के निर्माण का कार्य शिक्षा मंत्रालय को सौंपा गया था। उसके अनुसरण में शिक्षा विभाग ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का निर्माण किया। विधि मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को हिंदी में प्रकाशित करने का निश्चय किया। 25 अगस्त, 1988 को भारत के संविधान का द्विभाषी संस्करण किया गया। दो पत्रिकाएं एक 'दांडिक निर्णय' पत्रिका और 'सिविल निर्णय' पत्रिका प्रकाशन में आई। हिंदी के माध्यम से विधिक भाषा का विकास करना एक राष्ट्रीय मिशन रहा है। भारतीय विधिक

शब्दावली का निर्माण विधि साहित्य से संचय करके किया गया है, जिसमें भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय की अहम भूमिका रही है। विधि शब्दावली इतनी वैज्ञानिक और सटीक है कि न सिर्फ कानून और संविधान की एकरुपता को हम उसमें पाते हैं, वरन राष्ट्रीय - अंतरराष्ट्रीय दोनों संदर्भो को समेटने की सामर्थ्य उसमें है। आवश्यकता है कि इसका प्रचार हो जिससे शब्द परिचित हों और सरल लगने लगें।

निष्कर्ष : कानून के समुचित विकास के लिए हिंदी का अपनाना संभव हो सकता है यदि वर्तमान प्रणाली में इस मुद्दे से जुडी व्यावहारिक समस्याओं को समझा जाएं और उन पर काम किया जाए। अंग्रेजी के महत्त्व को समझते हुए भी, उसको अंगीकार कर और उसका सम्मान करते हुए भी जो देश अपनी भाषा के साथ न्याय करते हैं, वे देश हमसे आगे हैं। इंग्लैंड के विश्वविद्यालय ने लगभग 25 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को जन्म दियाहैं। विश्व के श्रेष्ठ 200 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत का नाम नहीं है। अपनी भाषा में उच्च शिक्षा की पढ़ाई करा रहे देशों में चीन आदि का काफी नाम है। मनीषा व मेधा हमारे देश में भी कम नहीं है। नई पीढ़ी को कानूनी हिंदी के लाभ से वंचित करना समझदारी नहीं है। यदि संविधान को उसी तरह काम करना है, जैसे उसकी भावना है तो यह अनिवार्य है कि भारत के संविधान के भाग 17 में वर्णित संघ की राजभाषा की उद्देश्य अर्थात राजभाषा हिंदी को प्रभावी रूप में स्थापित किया जाए। हिंदीभाषियों की उदासीनता, खुद को हीन समझना हिंदी के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। केंद्र और राज्य सरकारें हिंदी में रोजगार उपलब्ध कराने में सक्षम हो सकें। यह विधिक हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार, संप्रेषण और विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा, जिससे न केवल देश को एक कड़ी में बांधने में कामयाब हुआ जा सकेगा, वरन सरकारी कामकाज, शासन व्यवस्था तथा कानूनी प्रक्रिया के प्रति भी नागरिकों में बेहतर आस्था जगाई जा सकेगी।

सी. जे. महामुलकर
वरिष्ठ राजभाषा अधिकारी, कोंकण रेलवे

जननी से सेवक तक

वर्तमान में देश में स्त्रियों की संख्या लगभग 50 प्रतिशत तक हो गई है। किन्तु आज भी समाज में पुरुष वर्ग स्त्रियों को कमजोर और छोटा मानते हैं। मगर शायद यही पुरुष समाज यह भूल गया है कि स्त्री की उत्पत्ति एक विशेष काम को सम्पन्न करने के लिए हुई है जिसे पुरुष प्रधान समाज का कोई भी पुरुष नहीं कर सकता, वह महत्त्वपूर्ण काम स्त्री पूरा कर लेती है। एक बेटी के रूप में, एक पत्नी के रूप में और सबसे जरूरी एक माँ के रूप में। एक स्त्री हर रूप में, शांत और आदरणीय होती है। उसकी सहनशक्ति किसी भी पुरुष से कहीं ज्यादा होती है। कार्यों के सही और गलत को परखने और अपने खुद के उसूलों पर दृढ़ रहने की क्षमता स्त्री में पुरुषों की अपेक्षा कहीं ज्यादा होती है।

बचपन में बेटी के रूप में एक छोटी सी उम्र से ही जिम्मेदारी संभालना और समय पर उस जिम्मेदारी का पालन करना ही उसकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। घर के हर छोटे - बड़े काम में अपना सहयोग देना अपना फर्ज समझती है। इस उम्र में शायद ही कोई और उस तरह की जिम्मेदारियों को निभा सकता है। पत्नी के रूप में अपने पति का आदर करना, उनका मान सम्मान करना, उनके अच्छे और बुरे समय में साथ देना या यह कहा जा सकता है कि उनकी परछाई बनकर हमेशा उनका साथ देना ही एक पत्नी का धर्म माना जाता है। पुराणों और ग्रन्थों में भी कहा गया है कि इस तरह की स्त्री को हमेशा मोक्ष की प्राप्ति होती है जो अपने पति की परछाई बनी होती है। सीता, सावित्री और अनुसूया जैसी महान स्त्रियों का उल्लेख ग्रन्थों में उनकी महान सेवा के लिए किया गया है।

माँ के रूप में एक स्त्री एक नए जीवन की रचना करती है। उस गीली मिट्टी को एक नया रूप देती है, उसमें हर तरह की विशेषताएँ डालकर उसके रूप और आकार की रचना करती है और उस नए जीवन को, उसको, जिंदगी में हर तरह की परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करती है और कभी भी किसी भी तरह ही विपत्ति में ढाल बनकर उसकी रक्षा करती है। मानव जीवन के सबसे बड़े संरक्षक के रूप में आज भी एक माँ, एक पत्नी और एक बेटी सबसे महत्वपूर्ण साबित हुई हैं। देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान में पुरुषों और स्त्रियों को जीवन में आगे बढने के लिए एक समान अधिकार दिए गए हैं मगर फिर भी अभी तक ये अधिकार स्त्रियों को पूरी तरह से मिल नहीं पाए हैं और न ही ये पुरुष प्रधान समाज में इन अधिकारों की तरफ ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। आज भी स्त्रियों को सिर्फ एक सेवक के रूप में रखा गया है जबकि इन्हीं स्त्रियों में से कोई चाँद पर पहुँच रही है तो कोई सागर की गहराइयों को छू रही है। तेजी से भागती इस दुनिया में समय के साथ आगे चलने के लिए आज की नारी हर तरह से आगे आती जा रही है। चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर व्यवसाय का, प्रतियोगिता का क्षेत्र हो या उद्यमिता का, हर जगह स्त्रियों नें अपना परचम लहराया है।

वक्त है सोच बदलने की। आगे आकर हाथ मिलाने का, एकजुट होकर काम करने का और अनेकता में एकता दिखाने का। आज की नारी हर मुकाम को हासिल करने में सक्षम है। देश के संचालक के रूप में भी अपना झण्डा फहराया है। पुरुष प्रधान समाज को स्त्रियों के योगदान की भी इज्जत करनी चाहिए।

नदीम, आशुलिपिक
भारतीय तटरक्षक अवस्थान, रत्नागिरी

ईमानदारी - एक जीवन शैली

प्रस्तावना

ईमानदारी - एक जीवन शैली है। इस सूत्र का उद्देश्य देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रत्येक देशवासी को इस अभियान से सक्रिय रूप से जोड़ना और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में ईमानदारी को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। एक व्यक्ति का अपने लिए और दूसरों के लिए ईमानदार होना बहुत आवश्यक है। ईमानदारी अपने साथ बहुत सारे अच्छे गुण लाती है और जीवन में किसी भी बुरी स्थिति का पूरे साहस और आत्मविश्वास के साथ सामना करने में सक्षम बनाती है, इसलिए इसे ''ईमानदारी एक अच्छी नीति है'' कहा जाता है। कोई भी रिश्ता सच पर आधारित होता है, जो केवल ईमानदारी से ही प्राप्त किया जाता है। आमतौर पर लोगों को ईमानदार होना कठिन महसूस होता है, क्योंकि ईमानदारी को बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होता है। व्यक्ति का भाग्य जन्म से ही तय नहीं होता। भाग्य व्यक्ति के कर्मों पर आधारित होता है। व्यक्ति को बिना लालच किए ईमानदारी से काम करने पर सफलता जरूर मिलती है।

क्या है ईमानदारी ?

थॉमस जैफ्फरेंसन ने कहा है कि - ''बुद्धिमानी की किताब में ईमानदारी सबसे पहला पाठ है।'' बचपन से आज तक हमने कितने ही पाठ पढ़े और याद किए हैं और आज ईमानदारी से जुड़े उन्हीं पाठों को याद करने की जरुरत है। ईमानदारी कोई व्यक्तित्व नहीं है जो कुछ लोगों तक ही सीमित रह सकता हो, बल्कि ईमानदारी व्यक्तित्व का ऐसा ज़रुरी गुण हैं जो हर शख्स में होना बेहद ज़रुरी है। ईमानदारी किसी नियम और विनियमन को नहीं तोड़ना है, अनुशासन में रहना है, अच्छा व्यवहार करना है, सत्य बोलना है, समय का पाबंद होना है और दूसरों की ईमानदारी से मदद करना है। ईमानदार होने से व्यक्ति को आस-पास के सभी लोगों पर विश्वास करने, बहुत सारी खुशी, सर्वोच्च शक्ति से आशीर्वाद और भी कई चीजों में मदद मिलती है। ईमानदारी एक व्यक्ति को एक शुभ मार्ग की ओर ले जाती है जो वास्तविक खुशी और आनंद देता है।

क्यों है ईमानदारी का महत्त्व?

ईमानदार होने का अर्थ है सच्चा होना। सम्बन्ध जिस भी प्रकार का हो, उसमें स्पष्ट और पारदर्शी होना ही ईमानदारी है। ईमानदारी जीवन भर बहुत सी महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाती है, जिसे खुली आँखों से, आसानी व बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समाज के लोगों द्वारा ईमानदार कहा जाना, उस व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा परिपूरक है। एक ईमानदार व्यक्ति अपने जीवन के दिव्य उद्देश्य को आसानी से महसूस करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। यह धार्मिक जिम्मेदारियों के करीब रहता है। ईमानदारी की सम्पत्ति को रखने वाला एक व्यक्ति सच में ईमानदार व्यक्ति होता है। एक व्यक्ति ईमानदार है या बेईमान है, यह पूरी तरह से उसके परिवार की नैतिकता और उसके आस-पास के वातावरण पर निर्भर करता है। घर और स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ बच्चा नैतिकता सीखता है। इस प्रकार एक बच्चे को नैतिकता के करीब रखने के लिए शिक्षा प्रणाली में कुछ आवश्यक रणनीति होनी चाहिए। यदि माता-पिता ईमानदार होंगे, तो वे निश्चित रुप से इसे अपने बच्चों में सांस्कारिक रुप से हस्तान्तरित करेंगे। इसे अभ्यास से भी अर्जित और विकसित किया जा सकता है जिसके लिए धैर्य और लगन की आवश्यकता होती है। किसी भी देश के युवा उस देश के भविष्य होते हैं, इसलिए उन्हें नैतिक चरित्र को विकसित करने के लिए बेहतर अवसर देने चाहिए, ताकि वे देश का बेहतर तरीके से नेतृत्व कर सकें। ईमानदारी भ्रष्टाचार को दूर करने और समाज से कई सामाजिक मुद्दों को हल करने की क्षमता रखने वाली शक्ति है। ईमानदारी अच्छे स्वास्थ्य और खुशी का व्यक्ति बनाती है। ईमानदार होना मन को चिंता, तनाव और बेईमानी के कार्य के लिए पकड़े जाने के तनाव से मुक्त बनाता है। ईमानदार और सच्चे दिल वाला व्यक्ति स्वयं को सदा हल्का व तनावमुक्त अनुभव करता हैं।

क्यों जीवन में ईमानदारी से रहना जरुरी है?

ईमानदारी में अनुशासन - ईमानदार व्यक्ति में अनुशासन होना जरुरी है जिसके ज़रिये वो हर कार्य अनुशासन में रहते हुए समय पर पूरा कर पाता है। समय पर कार्य का पूरा किया जाना भी उस कार्य के प्रति ईमानदारी को ही दर्शाता है।

ईमानदारी में पारदर्शिता - ईमानदार व्यक्ति जिस भी रिश्ते में जुड़ा होता है, उसके व्यवहार में पारदर्शिता को साफ देखा जा सकता है। ईमानदार व्यक्ति हर रिश्ते को पूरी पारदर्शिता के साथ निभाता है जिससे सम्बन्ध और भी ज्यादा मजबूत हो जाता करते हैं।

ईमानदारी में करुणा - दया और करुणा का भाव भी ईमानदारी का ही साथी होता है। दया और सहानुभूति, सहयोग और सद्भावना जैसे भाव ईमानदार व्यक्ति में कूट-कूट कर भरे होते हैं।

ईमानदारी में विश्वसनीयता - ईमानदार व्यक्ति भरोसेमंद होते हैं जिन पर आँख बंद करके हम विश्वास कर सकते हैं। मुश्किल हालातों में भी ऐसे लोग मुसीबत में साथ खड़े देखे जा सकते हैं।

ईमानदारी में निर्भीकता - ईमानदार व्यक्ति को किसी बात का डर नहीं होता क्योंकि वो जानता है कि उसने किसी के साथ कोई छल नहीं किया है। ईमानदार व्यक्ति का व्यक्तित्व भी शांत होता है।

ईमानदारी में कर्तव्य - कर्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं लेकिन आज के इस दौर में अधिकारों का बोलबाला है। ईमानदारी अपने साथ कर्तव्य को लेकर चलती है। हर ईमानदार शख्स अपने कर्तव्यों का निर्वाह सच्चाई के साथ करता है।

ईमानदारी में प्रतिष्ठा - हर व्यक्ति चाहता है कि समाज में उसे खास प्रतिष्ठा और सम्मान मिले लेकिन समाज और दुनिया उसी को सराहती है, उसी का सम्मान करती है जो अपने दायित्वों के निर्वहन में पूरी तरह ईमानदारी बरतता है।

आइए देखें ईमानदारी का फल लकड़हारे की कुल्हाड़ी की कहानी से बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गाँव में एक लकड़हारा रहता था। वह अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार था और हमेशा कड़ी मेहनत करता था। प्रत्येक दिन वह पास के जंगल में पेड़ काटने चले जाता। जंगल से पेड़ काटने के बाद वह लकड़ियां अपने गाँव लाता और सौदागर को बेच देता जिससे वह काफी अच्छा पैसा कमाता था। वह अपने रोजमर्रा के

खर्च से अधिक पैसा कमाता था जिससे उसके पास अच्छी बचत भी हो जाती, लेकिन वह लकड़हारा अपने साधारण जीवन से खुश था।

एक दिन वह नदी किनारे पेड़ काट रहा था। अचानक उसके हाथ से कुल्हाड़ी फिसली और वह नदी में जा गिरी। नदी बहुत गहरी थी। इसलिए वह खुद उस कुल्हाडी को नहीं निकाल सकता था। उसके पास सिर्फ एक ही कुल्हाड़ी थी जो अब नदी में खो चुकी थी। वह यह सोचकर बहुत परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि बिना कुल्हाड़ी के वह अपनी आजीविका किस तरह से चला पाएगा।

वह बहुत ही दुखी हो गया, इसलिए वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। वह सच्चे मन से प्रार्थना कर रहा था इसलिए भगवान ने उसकी बात सुनी और उसके पास आकर पूछा, ''पुत्र, क्या समस्या हो गयी?'' लकड़हारे ने अपनी सारी बात भगवान को बताई और अपनी कुल्हाड़ी लौटाने के लिए भगवान से विनती की।

भगवान ने अपना हाथ उठाकर गहरे नदी में डाला और चांदी की कुल्हाड़ी निकालकर लकड़हारे से पूछा, ''क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है?''

लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को देखा और बोला, ''नहीं।'' भगवान ने अपना हाथ दोबारा पानी में डाला और एक कुल्हाड़ी निकाली जो सोने की बनी हुई थी।

भगवान ने उससे पूछा, ''क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है?''

लकड़हारे ने उस कुल्हाड़ी को अच्छी तरह देखा और बोला, ''नहीं भगवान। यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है।''

भगवान बोले, ''इसे ध्यान से देखो मेरे पुत्र, यह सोने की कुल्हाड़ी है जो बहुत कीमती है। सच में यह तुम्हारी नहीं है?''

लकड़हारा बोला, ''नहीं। यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मैं सोने की कुल्हाड़ी से पेड़ नहीं काट सकता, यह मेरे किसी काम की नहीं है।''

भगवान यह देखकर खुश हुए और अपना हाथ फिर से गहरी नदी में डाला और एक कुल्हाड़ी निकाली। यह कुल्हाड़ी लोहे की थी और भगवान ने लकड़हारे से पूछा, ''यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है?''

लकड़हारा कुल्हाड़ी देखकर बोला, 'जी हाँ, यह मेरी कुल्हाड़ी है। आपका धन्यवाद।'' भगवान लकड़हारे की ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे लोहे की कुल्हाड़ी दे दी, साथ में उसे दो कुल्हाड़ी उसकी ईमानदारी के लिए ईनाम में भी दी।

उपर्युक्त कहानी हमें ईमानदारी की एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमेशा ईमानदार रहें। ईमानदारी हमेशा से ही प्रशंसा की पात्र रही है। ईमानदारी हमारे नैतिक गुणों में चार चाँद लगाती है और फलस्वरूप हमें इसका बेहतर फल हमेशा मिलता है।

''ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है'' - बेंजामिन प्रेंकलिन द्वारा कही गयी इस बात को हमने अपने स्कूल के दिनों में कहानी की शिक्षा के रूप में भी तो पढ़ा है ना, 'ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी' अर्थात ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इस नीति से जुड़ी कहानियाँ आपको आज भी याद होंगी। लेकिन क्या हमें उन कहानियों के साथ-साथ ये संदेश भी याद है कि हर शख्स को ईमानदार होना चाहिए क्योंकि ईमानदारी का कोई विकल्प हो ही नहीं सकता।

ईमानदारी बहुत ही कीमती और अधिक महत्व वाली अच्छी आदत है। इस बारे में बेंजामिन प्रेंकलिन ने बहुत अच्छी बात कही है, ''ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है।'' थॉमस जैफ्फरेंसन द्वारा कहा गया एक और कथन है कि ''बुद्धिमानी की किताब में ईमानदारी सबसे पहला पाठ है।'' दोनों कथन अतीत में महान व्यक्तियों के द्वारा कहे गए हैं, हालांकि भविष्य में भी ये कथन सत्य ही रहेंगे।

ईमानदार होना आस-पास के लोगों का विश्वास, सर्वशक्ति से खुशियों का आशीर्वाद आदि बहुत सी चीजें प्राप्त करने में एक व्यक्ति की मदद करता है। ईमानदार होना वास्तविक जीवन में बहुत ही लाभदायक होता है। यह कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे कोई खरीद या बेच सके; यह एक अच्छी आदत है जिसे केवल अभ्यास के माध्यम से अर्जित किया जा सकता है। ईमानदारी को सबसे अच्छी नीति माना जाता है, हालांकि इसका पालन करना और विकसित करना बहुत आसान नहीं है।

निष्कर्ष

बेईमानी अच्छी आदत नहीं है, यह शुरुआत में एक व्यक्ति को लाभ पहुँचा सकती है हालांकि, इसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। बेईमान व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए अभिशाप होते हैं, क्योंकि वे समाज की पूरी व्यवस्था को नष्ट करते हैं। ईमानदारी को व्यवहार में लाने का अभ्यास करने का सभी धर्मो के द्वारा समर्थन किया जाता है। बेईमान व्यक्ति कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वे अपने धर्म के प्रति वफादार नहीं होते हैं। ईमानदार व्यक्ति हमेशा जीवन के सभी पहलुओं में विश्वसनीय और भरोसेमंद होते हैं।

विनोद चन्द्रशेखर दीक्षित
वरिष्ठ प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंड़िया

नराकास राजभाषा शील्ड प्रतियोगिता वर्ष - 2018-19

नराकास रत्नागिरी की नई पहल के अंतर्गत 'उत्कृष्ट राजभाषा कार्यांव्यन पुरस्कार' स्वरुप शील्ड एवं प्रमाणपत्र ग्रहण करते हुए कोंकण रेलवे, क्षेत्रीय प्रबंधक श्री उपेंद्र शेण्ड्ये तथा उप मुख्य राजभाषा अधिकारी श्री कृष्णा लंबानी । यह पुरस्कार ऐसे कार्यालय को प्रदान किया गया है जिसने निरंतर पांच साल तक प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया हो ।

प्रथम पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड एवं प्रमाणपत्र ग्रहण करते हुए भारतीय तटरक्षक अवस्थान, रत्नागिरी के कमान अधिकारी श्री अतुल सी. दांडेकर तथा डी. के. राम, प्रधान अधिकारी व मोहम्मद नदीम (आशु लिपिक)

द्वितीय पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड एवं प्रमाणपत्र ग्रहण करते हुए आकाशवाणी केंद्र, रत्नागिरी के कार्यक्रम अधिकारी श्री संतोष पाडगावकर एवं श्री पुरुषोत्तम डोंगरे ।

तृतीय पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड एवं प्रमाणपत्र ग्रहण करते हुए सीमा शुल्क कार्यालय, रत्नागिरी के सहायक आयुक्त श्री आलोक कुमार सिंह तथा राजभाषा सहायक श्रीमती वर्षा कांबळे एवं स्टाफ सदस्य

प्रोत्साहन पुरस्कार स्वरूप राजभाषा शील्ड एवं प्रमाणपत्र ग्रहण करते हुए पवन गुब्बारा वेधशाला, रत्नागिरी के श्री मौसम विज्ञानी (ए) श्री सुनील समेल।

छमाही बैठक जून 2019 की झलकियां...

राजभाषा रत्नसिंधु हिंदी छमाही पत्रिका

नराकास ई-पत्रिका 'प्रेरणा' का विमोचन

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी

छमाही बैठक जून 2019 की झलकियां...

नराकास की वार्षिक कार्ययोजना 2019-20 का विमोचन

हमारे देश में भ्रष्टाचार

''भ्रष्टाचार से सब बर्बाद है, क्या देश सच में आजाद है''

भ्रष्टाचार, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि दो शब्दों से मिलकर बना है भ्रष्ट + आचार। भ्रष्ट का अर्थ होता है 'बिगड़ा हुआ' तथा आचार का अर्थ है 'आचरण', अर्थात 'बिगड़ा हुआ आचरण'। भ्रष्टाचार को अंग्रेजी में 'करप्शन' कहा जाता है जिसको लैटिन भाषा के 'करप्टस' से लिया गया है जिसका अर्थ है, तौर-तरीके और नैतिकता में आदर्शों का टूट जाना, घूस लेना आदि। वह आचरण जो किसी प्रकार से अनैतिक या अनुचित हो, 'भ्रष्टाचार' कहलाता है। अन्य शब्दों में निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिये प्रशासनिक, सामाजिक, नैतिक व वैधानिक मानदण्डों का उल्लंघन तथा विधि द्वारा मान्य नियमों के विरुद्ध अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए सार्वजनिक सत्ता के दुरुपयोग को 'भ्रष्टाचार' कहा जाता है।

भ्रष्टाचार समाज की जटिल समस्या है, इसने सम्पूर्ण समाज को प्रभावित कर रखा है। भ्रष्टाचार रुपी समस्या से विश्व के प्रत्येक देश ग्रसित हैं। इसकी व्यापकता कम या अधिक हो सकती है, परंतु कोई भी देश इससे पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। हमारा देश भी इससे अछूता नहीं है या यूँ कहें कि हमारा देश इस बीमारी से बुरी तरह से ग्रसित है। हमारे देश में भ्रष्टाचार चर्चा के साथ साथ आंदोलन करने के लिये भी प्रमुख मुद्दा (विषय) है। स्वतंत्रता के करीब एक दशक के बाद से ही हमारा देश भ्रष्टाचार के दलदल की दिशा में बढ़ने लगा था तथा उस समय से ही भारत की संसद में इस मुद्दे पर चर्चा भी होती थी। सन 1961 में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के संदर्भ में डॉ. राममनोहर लोहिया ने संसद में जो भाषण दिया था, वो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, ''सिंहासन और व्यापार के बीच सम्बंध जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हमारे देश में हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ''।

भ्रष्टाचार देश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ नागरिकों तथा आने वाली नयी पीढ़ी के व्यक्तित्व के विकास पर भी विपरीत प्रभाव डालता है। हमारे देश में राजनीतिक तथा नौकरशाही का भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक है, साथ ही साथ न्यायपालिका, मीडिया तथा पुलिस आदि में भी व्याप्त है। 'ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल' के 2018 में सर्वे का आधार पर जारी 'वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक' में विश्व के कुल 180 देशों में भारत का स्थान 78 वें स्थान पर है। इस सर्वेक्षण के अनुसार 'विश्व का सबसे बड़ा लोकतन्त्र' अर्थात 'सारे जहाँ से अच्छा हिंदोस्ता हमारा' एशिया महाद्वीप में सबसे भ्रष्ट देशों की श्रेणी पाया गया है।

''कौन कहता है, भारत में जुगाड़ चलता है,
सच बात तो ये है,
भारत में बस भ्रष्टाचार चलता है।''

हमारे देश में भ्रष्टाचार प्रकरण पर विश्लेषण किया गया, तो पता चला कि यहाँ भ्रष्टाचार गरीबी के कारण फला-फूला है। अधिक से अधिक वैभव सम्पन्न सुविधाएं जुटाने की चाह व्यक्ति को भ्रष्ट बनाती है। दुनिया के बड़े देश भी यहाँ कार्यरत धनी भारतीय को देखकर इस बात से हैरान होते हैं कि अपार धन सम्पदा, मानव संसाधन, शक्ति व प्राकृतिक सम्पदा से सम्पन्न होते हुए भी भारत इतना भ्रष्ट व निर्धन देश क्यों है? इसका सही उत्तर यही है कि हम वस्तुतः गरीब नहीं, बल्कि इसके लिये हमारी नीतियाँ व राजनीतिक व्यवस्था दोषी है। जिम्मेदार लोगों का भ्रष्ट आचरण ही हमारे लोकतान्त्रिक जीवन की सबसे बड़ी विसंगति है।

राजनीतिक दलों ने राजनीति को लूट-खसोट का माध्यम बना लिया है। देखते ही देखते ये नेता, मंत्री, सांसद, विधायक मालदार हो जाते है और देश की जनता भ्रष्टाचार तथा महंगाई की चक्की में पिसती रहती है। राजनीति में नैतिकता नाम की चीज का पतन हो गया है। जैसा कि अक्सर हमें देखने को मिलता है कि राजनेता अपना दल बदलकर दूसरे दल में चले जाते हैं तथा बड़े ही भ्रष्ट तरीके से अपनी निष्ठा में परिवर्तन कर लेते हैं। राजनीति में धन की आवश्यकता को भी नकारा नहीं जा सकता है। अकसर हमें देखने को मिलता है कि नेताओं द्वारा वोट खरीदने में लाखों का निवेश किया जाता है तथा चुनाव बाद घूस के माध्यम से निवेश की रकम वसूल की जाती है। इस प्रकार राजनीति एक व्यापार बन गयी है। हमारे देश में मंत्रालयों, चिकित्सालयों, प्रशासन, शिक्षा, मंदिरों, अदालतों, व्यापार व वाणिज्य सभी क्षेत्र में पड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार व्याप्त है। ईमानदारी व सत्यनिष्ठा तो केवल कहने के गुण रह गए हैं। हर व्यक्ति अपने निजी फायदे, कुछ धन, उपहार आदि के लिये भ्रष्ट हो चुका है।

सामान्यतः हमारे समाज में रिश्वत/घूस लेने को ही भ्रष्टाचार समझा जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। भ्रष्टाचार तो अनेक माध्यमों से होता है। भ्रष्टाचार व रिश्वतखोरी कोई नई अवधारणा नहीं है। सदियों पूर्व हिन्दू विधि के निर्माता माने जाने वाले 'महर्षि मनु' ने पुस्तक 'मनुस्मृति' में तत्कालीन समाज में व्याप्त घूसख़ोरी तथा भ्रष्टाचार का स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है। प्राचीन इतिहास में सबसे ज्ञानी व्यक्तियों में से एक माने जाने वाले 'आचार्य कौटिल्य' ने अपनी रचना 'अर्थशास्त्र' में लिखा है कि ''जिस प्रकार तालाब में तैरती मछली कब पानी गटक जाती हैं, कोई देख नहीं सकता, उसी प्रकार नौकरशाही में अधिकारी वर्ग कब भ्रष्ट आचरण करे, यह पता लगाना मुश्किल है।'' उन्होंने अपनी इस रचना में भ्रष्टाचार के 40 रूपों का वर्णन करते हुए इस बात पर विशद रूप से चर्चा की है। वर्षों से जिस तरह जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए राजनीतिज्ञ, पुलिस-प्रशासन से जुड़े अधिकारियों, पत्रकारों, उद्योगपतियों के द्वारा भ्रष्टाचार को संरक्षण देते या लिप्त होते पाया गया है, उसे देखकर यह बात याद आती है कि ''आसमान में उड़ती हुई चिड़ियाओं की उड़ान से रास्ते का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु भ्रष्ट आचरण के तरीकों का पूर्वानुमान लगाना बहुत कठिन है।''

''बीबी को गुलाब और बच्चों को चौकलेट से मनाता हूँ,
अनजाने में मैं अपने परिवार को भ्रष्ट बनाता हूँ,
आगे चलकर ऐसे ही लोग सरकार बनाते है,
भ्रष्टाचार को हम ही शिष्टाचार बनाते है।''

भ्रष्टाचार के अंतर्गत गैरकानूनी ढंग से कमाई करना, बेईमानी, छल-कपट, विश्वासघात, जालसाजी, अनैतिक पक्षपात, रिश्वत लेना-देना, चोरी करना या करवाना, असत्य का आचरण करना आदि विविध बातों को शामिल किया जाता है। आजकल भ्रष्टाचार की जगह एक नया प्रयोग किया जा रहा है 'अवचार' या 'दुराचार'। 'दुराचार' अपने आप में भ्रष्टाचार को

शामिल करता ही है, बल्कि यह उन आचरणों को भी शामिल करता है जो उस पद से अपेक्षित आदर्शों से गिरे हुए हैं।

''फर्क नहीं, तुम राजा हो या रंक,
भ्रष्ट हो, तो मानवता पर हो कलंक''

हमारे देश की सरकार ने आजादी से लेकर वर्तमान तक भ्रष्टाचार के खात्मे के लिये अनेक कानून बनाए हैं जिसमें कई प्रकार के दण्डों के प्रावधान हैं। अगर कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, नेता, मंत्री आदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाए तो उन्हें उनके पद से बर्खास्त करने, उनकी संपत्ति जप्त करने तथा कारावास जैसे कठोर दण्ड का प्रावधान है। परंतु यह भी एक कटु सत्य है कि इन कानूनों के बावजूद आज तक भ्रष्टाचार में कोई भी कमी नहीं आई है। भ्रष्टाचार की समाप्ति के लिए देश के प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदार नागरिक बनकर अपने मन के भीतर के भ्रष्टाचार को मिटाना होगा तभी भ्रष्टाचार का निवारण हो पाएगा।

''शिक्षित बनो और भ्रष्टाचार भगाओ,
एक जिम्मेदार नागरिक बनकर आगे आओ।''

चन्द्रकान्त कुमार,
अवर श्रेणी लिपिक,
भारतीय तटरक्षक अवस्थान, रत्नागिरी

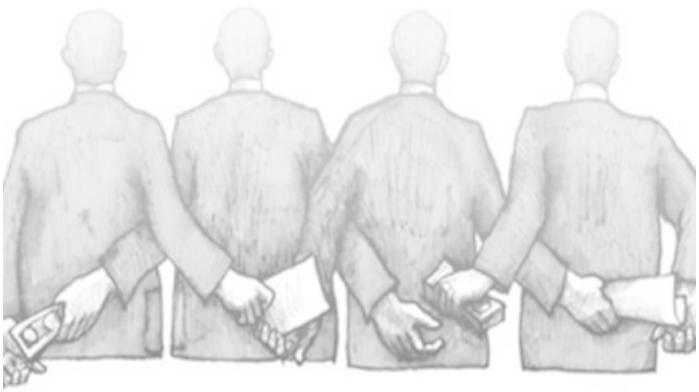

हिन्दी भाषा का दर्द

दिखते हैं चहूं और मदद वाले,
झूठा प्यार जताते हैं
हिन्दी में कार्य करने का सिर्फ
संकल्प ही दोहराते हैं।

इस झूठे प्यार ने मुझको बहुत कलाया है,
मुझको बहुत जलाया है।
लोगों की एक हफ्ते की हिन्दी क्रीड़ाओं ने,
मेरे घावों की पीड़ा को और बढ़ाया है।
मुझे मेरे अपनों ने ही बहुत कलाया है,
मुझे बहुत जलाया है।

भाषाओं के नाम पर आदमी-आदमी आपस में लड़ रहे हैं,
दिलों में हिन्दी भाषा के प्रति ईर्ष्या लेकर घूम रहे हैं।
इस ईर्ष्या ने मेरे इस दर्द की ज्वाला को और भड़काया है,
मुझको बहुत कलाया है, मुझको बहुत जलाया है।

- आनंद पाल, प्रधान नाविक
भारतीय तटरक्षक अवस्थान, रत्नागिरी

कोंकण रेल की नई आपूर्ति "रेल विद्युतीकरण"

आगामी समय में पूरी दुनियाँ में रेल के क्षेत्र में सबसे अधिक निवेश भारत में होने जा रहा है। कोंकण रेल में भी ऐसे कई महत्त्वपूर्ण महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट एक साथ अपनी रूपरेखा को अंतिम स्वरूप देने जा रहे हैं। दोहरीकरण, विद्युतीकरण, नया रेलमार्ग, मौजूदा गाड़ियों की औसत रफ्तार बढ़ाने और कई नए रेल्वे स्टेशन बनाने की योजनाएँ इसमें शामिल हैं।

कोंकण रेल स्थापना की 25 वी वर्षगांठ समारोह पर नवी मुंबई आए माननीय रेलमंत्री श्री सुरेश प्रभुजी ने रोहा से वीर तक की रेल्वे लाइन के दोहरीकरण तथा रोहा से ठोकूर तक की विद्युतीकरण योजनाओं का खुलासा करते हुए कहा था कि दो रेलमार्ग और विद्युतीकरण कर दिये जाने से कोंकण रेल मार्ग पर गाड़ियों की आवाजाही में दुगनी से भी अधिक वृद्धि हो जायेगी । साथ ही कोंकण रेलवे की आय भी बढ़ेगी।

भारत में अब तक 48% क्षेत्र का रेल विद्युतीकरण हुआ है और 2022 तक इन चार साल में 100% रेल विद्युतीकरण का लक्ष रखा गया है। इससे ईंधन पर होने वाला लगभग 13,510 करोड़ प्रतिवर्ष का खर्च कम हो जायेगा। 3 फरवरी 1925 में भारत में पहली इलैक्ट्रिक ट्रेन मुंबई विक्टोरिया टर्मिनल से कुर्ला के बीच चलाई गई थी। कोंकण रेल पर सन 2017 से 740 किलोमीटर रेल मार्ग के विद्युतीकरण का काम प्रगति पर है। 1400 करोड़ का यह प्रोजेक्ट दिसम्बर 2020 तक पूरा होने की उम्मीद है।

कोंकण रेल पर रोहा से लेकर वेरना तक मेसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो द्वारा काम हो रहा है तथा वेरना से लेकर ठोकर मंगलुर तक मेसर्स कल्पतरू पॉवर के माध्यम से काम चालू हो चुका है।

विद्युतीकरण से हमें काफ़ी फायदे होने वाले हैं, जैसे कि हमारे समय और पैसों की बचत हो जाएगी। वर्तमान ट्रैक पर डीजल इंजन की क्षमता 110 से 120 किलोमीटर प्रतिघंटा है, विद्युतीकरण के बाद इसी ट्रैक पर ट्रेनें 130 से 140 किलोमीटर प्रतिघंटा के रफ्तार से दौड़ सकेगी। डीजल इंजन में डीजल भरने के लिए लगने वाला समय बच जाएगा।

कोंकण रेल को छोडकर मुंबई और मंगलुरू से आगे सभी ट्रैक पर विद्युतीकरण हुआ है। इस कारण कोंकण रेल से जाने वाली ट्रेन का इंजन यहाँ बदलकर इलैक्ट्रिक लोकोमोटिव लगाया जाता है। इससे आधा से एक घंटा का लगने वाला समय बच जाएगा।

पैसेंजर को होनेवाला फायदा :

ट्रेन के सफर का समय कम होगा।

ट्रेन की रफ्तार 10 से 20 किमी तक बढ़ेगी।

इंजन फ़ेल होने की घटनाएँ 60 फ़ीसदी तक कम होगी।

डीजल से होने वाला प्रदूषण नहीं होगा।

गिरीप्रसाद गौतम
उपमुख्य अभियंता, रेल विद्युतीकरण

माँ की अभिलाषा

काश जो तू आया होता
मैं न कहती तुझे इस बार झालर लगाने को
न ही तुझसे कुछ सामान कहती लाने को
ना तेरी सुबह दुपहर में होने में दखल देती
ना तेरा वो दिन भर फोन पर रहने में तुझे अकल देती ।

बस तू आ जाता
तू आ जाता तो तुझे जी भर देख लेती
बातों बातों में तेरे गालों पर हाथ फेर लेती
तेरा बचपना एक बार फिर मैं संजो लेती
तेरे जाने पर एक बार फिर मैं रो लेती।

तुझे पता है
इस बार भी तेरे बिना दिवाली आई थी
तेरे पसंद की सूरन की सब्जी बनाई थी
पापा से लड़कर लड्डू की जगह रसगुल्ले मंगाया था
और तेरी तरह रात को चुराकर फ्रिज से खाया था।

जानता हैं.. अब नहीं अच्छे लगते ये नए कपड़े और त्योहार
किसी कोने से तू निकल आएगा ऐसा लगता है बार बार
समय मिले काम से तो.. बिन दिवाली ही सही .. आ जाना
एक बार फिर अपनी माँ को माँ कहलाने का सुख दिला जाना।

- चन्दन कुमार
मुख्य प्रबंधक, बैंक ऑफ इंडिया

बायो डाइजेस्टर

प्रभावी ट्रेन संचालन के उद्देश्य से कोंकण रेलवे और निकटवर्ती मध्य रेलवे के सभी रनिंग स्टाफ के लिए सुखप्रद विश्राम की सुविधा प्रदान करने हेतु भोजन तथा शयन सुविधा के साथ रत्नागिरी और रोहा में रनिंग रूम की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है।

इन रनिंग रूम में प्रतिदिन लगभग 80 से 100 कर्मचारी नाश्ता, दोपहर और रात के भोजन की सुविधा का लाभ उठाते हैं जिसके परिणामस्वरुप चौबीसों घंटे बड़ी मात्रा में कचरा उत्पन्न हो जाता है।

इस कचरे का निपटान करना एक बड़ा मुद्दा था और इस कचरे की वजह से वहाँ चूहे जैसे कतरने वाले प्राणी और सांप आकर्षित होते थे।

इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए रत्नागिरी रनिंग रुम के लिए बायो-गैस सिस्टम उपलब्ध कराया गया है। बायो गैस का निर्माण जैविक, बायो-डिग्रेडेबल कचरा या पदार्थ (जिसे बायोमास के रूप में भी जाना जाता है) जैसे कि सब्जियां, पत्ते, घास, वीड, बचे हुए खाद्य पदार्थ के द्वारा किया जाता है। इन पदार्थों का कार्बनिक विघटन होता है और बायो-गैस नामक गैस का उत्पादन होता है।

बायो गैस उत्पन्न करने के लिए रनिंग रूम के कचरे को पीस कर बायो गैस सिस्टम में उपयोग किया जाता है। इससे चूहै जैसे कुतरने वाले प्राणी और सांप आकर्षित नहीं होते हैं तथा पर्यावरण को बनाए रखने में मदद मिलती है और पैसे भी बचाए जाते हैं।

बायो गैस कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन का मिश्रण है जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस तथा प्राकृतिक गैस की तरह ही होता है। इसीलिए बायो-गैस का उपयोग रनिंग रुम में खाना पकाने के लिए किया जाता है।

बायो गैस के लाभ :

1. बायो गैस पर्यावरण अनुकूल है।
2. बायो गैस मृदा और जलप्रदूषण को कम करता है।
3. बायो गैस जैविक खाद का उत्पादन करता है।
4. यह एक सरल और कम लागत वाली प्रौद्योगिकी है जो एक वृत्तीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती है।
5. विकासशील क्षेत्रों में स्वास्थ्यप्रद भोजन तैयार करने का यह अच्छा विकल्प है।

बाबासाहेब नडगे
क्षेत्रीय अभियांत्रिक इंजीनियर, रत्नागिरी

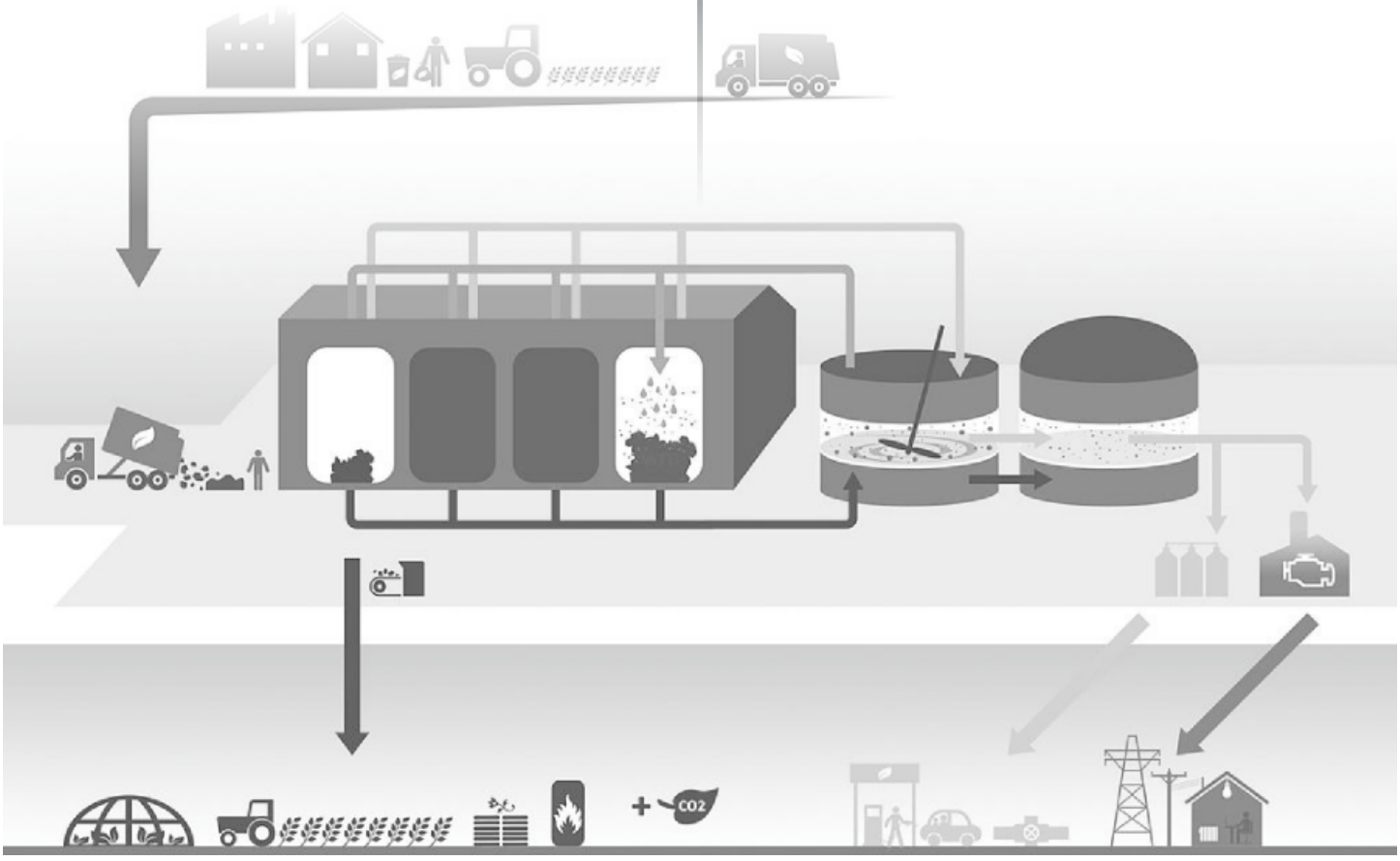

'श्रेष्ठ सेवा, उचित व्यवहार चलें नये क्षितिज की ओर'

व्यवसाय वृद्धि में ग्राहक सेवा का महत्त्व

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जहाँ वह अपने सामाजिक संबंधों का निर्वाह 'सहभागिता' के नियम के अनुसार करता है। समाज में प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में एक-दूसरे के ऊपर निर्भर रहता है। फिर वो कोई बहुत बड़ा व्यवसायी हो अथवा कोई छोडा दिहाड़ी मजदूर, सभी को अपने दैनिक जीवन व जीवन के विविध क्षेत्रों में एक-दूसरे की परस्पर आवश्यकता पड़ती रहती है। उनका यह पारस्परिक सम्बन्ध व्यावसायिक शब्दावली में क्रेता-विक्रेता अथवा उत्पादक-उपभोक्ता सम्बन्ध के रूप में जाना जाता है।

वर्तमान बाजारीकरण के युग में (जहाँ सम्पूर्ण विश्व एक बाज़ार के रूप में परिणत हो रहा है) सबसे बड़ी चुनौती ग्राहकों की संतुष्टि की है। इसके लिए व्यवसायी विभिन्न प्रकार की युक्तियाँ अपनाते रहते हैं ताकि जिससे उनका व्यवसाय सफलता के नवीन आयामों को प्राप्त कर सके। प्रस्तुत लेख 'श्रेष्ठ सेवा, उचित व्यवहार - चलें नये क्षितिज की ओर' (व्यवसाय वृद्धि में ग्राहक सेवा का महत्त्व) विषय पर आधारित है जिसके केन्द्र में बैंकिंग व्यवस्था तथा उनके ग्राहकों की संतुष्टि को रखा गया है। इस लेख का मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से ग्राहकों की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए उचित व्यवहार किया जाए जिससे कोई भी सेवा प्रदाता संस्थान नित नवीन सफलता को प्राप्त कर पाए। ग्राहकों की संतुष्टि को ध्येय में रखते हुए निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखने की आवश्यकता है :

1. अपने ग्राहकों को समझने का प्रयास करे - बैंकिंग अथवा किसी भी प्रबंधक के लिए यह उचित है कि वह अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को इस प्रकार प्रशिक्षित करवाएँ कि वे अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं, प्राथमिकताओं, परेशानियों को भली-भांति समझ कर उनके अनुकूल व्यवहार करें।

2. स्वयं को पहचानें - इस बिंदु से अभिप्राय है कि किसी भी बैंक / व्यावसायिक संस्थान के कर्मचारियों को संस्थान के मुख्य उद्देश्य को सदैव ध्यान में रखना चाहिए। वे यह अनिवार्यतः समझें कि वे क्या हैं, कौन हैं तथा किस प्रकार की सुविधाएँ वे उपलब्ध करवाते हैं ताकि अपनी कार्यों के प्रति वे न्याय कर सकें तथा ग्राहकों की संतुष्टि का कारण एवं अपने संस्था की उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर सकें।

3. ग्राहकों की प्रतिक्रिया पर चिंतन करें - बैंकिंग अथवा किसी भी व्यवसाय में ग्राहकों की प्रतिक्रिया का वही स्थान होता है जो स्थान किसी भी फसल के संवर्धन में उर्वरकों का होता है। अतः प्रबंधन को अपने संस्थान में इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध करवानी चाहिए कि ग्राहक बेझिझक (बिना किसी भय अथवा संकोच के) अपने बहुमूल्य सुझावों अथवा शिकायतों को आप तक संप्रेषित कर सकें।

4. समय का उचित प्रबंधन - बैंकिंग आदि प्रत्येक क्षेत्र में समय का उचित प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अतः बैंकों के प्रबंधन में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसी भी ग्राहक को किसी भी कारण से अपना समय बेवजह न व्यतीत करना पड़े। इससे न केवल आपकी साख में वृद्धि होती है अपितु यह आपके ग्राहकों की संतुष्टि का भी कारण बन सकता है।

5. विवादों को उचित प्रकार से सुलझाने का प्रयास करें - किसी भी संस्थान में एक समय पर बहुत सारे व्यक्ति कार्यरत होते हैं, फलतः उनमें विवादों की भी सम्भावना रहती है। उस समय यह सबसे जटिल कार्य होता है कि इन विवादों को प्रभावपूर्ण ढंग से सुलझायें कि पुनः इस प्रकार की स्थिति का सामना न करना पड़े। इसके लिए सबसे जरुरी है कि धैर्य के साथ दोनों पक्षों की बातों को सुन कर उनको वैयक्तिक रुप से सुलझाने का प्रयत्न करें। ऐसा कोई भी व्यवहार न करें जिससे किसी के आत्मसम्मान को चोट लगे। इसके द्वारा न केवल आप अपने कार्यस्थल को शांतिपूर्ण बनाऐ रख सकते हैं, अपितु अपने कर्मचारियों के साथ-साथ अपने ग्राहकों को भी संतुष्ट रख सकते हैं।

6. महिला ग्राहकों हेतु उपयुक्त नीतियां - पर्दा-प्रथा और घर तक रहने का चलन बंद होने के कारण तथा विविध प्रकार के सरकारी, गैर-सरकारी योजनाओं के प्रभाव से बैंकों में महिला ग्राहकों की संख्या में अपेक्षाकृत वृद्धि हुई है। परिणामस्वरुप विविध क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है जैसेकि स्वं.स.स., शिक्षा, स्टार्ट-अप, मार्केटिंग आदि। अतः आज बैंकों में भी उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं / नीतियों के निर्माण की अनिवार्यता महसूस की जा रही है जिससे महिला ग्राहकों को भी समान रूप से बेहतर सेवाएँ दी जा सकें।

उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त कुछ अन्य पक्ष भी हैं जिस पर ग्राहकों की संतुष्टि हेतु ध्यान दिया जाना आवश्यक है। बैंक में उचित सेवा हेतु उपयुक्त प्रबंधन की आवश्यकता होती है। जैसे कि महिलाओं तथा पुरुषों हेतु अलग-अलग पंक्ति की व्यवस्था, गर्भवती महिलाओं तथा वृद्धों की समस्याओं को प्राथमिकता देना, कार्यस्थल पर बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, प्रत्येक विशिष्ट कार्य हेतु विशिष्ट काउंटर की व्यवस्था, कर्मचारियों का शिष्ट व्यवहार आदि।

उपरोक्त सुझावों को ध्यान में रखते हुए हम अपनी श्रेष्ठ सेवा एवं उचित व्यवहार के माध्यम से ग्राहकों में संतुष्टि का भाव उत्पन्न करते हुए अपने व्यासवायिक / बैंकिंग उपलब्धियों के नवीन आयामों को भी प्राप्त कर सकते हैं।

इन्द्र मोहन झा,
बैंक ऑफ इंड़िया

इमानदारी हीच जीवनशैली

सालाबादप्रमाणे याही वर्षी सतर्कता जागरुकता सप्ताह दि. 28.10.2019 ते 02.11.2019 या दरम्यान साजरा करण्यात आला. या सप्ताहाचा उद्देश समाजातील सर्व घकांनी एकत्र येऊन संघटितपणे भ्रष्टाचार थांबवण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचाराची कारणे, भ्रष्टाचाराची तीव्रता या संदर्भात जनजागृती करणे हा आहे. ह्या वर्षी सतर्कता जागरुकता सप्ताह 2019 चे घोषवाक्य 'इमानदारी - एक जीवन शैली' असे आहे.

भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी सरकारने 1964 साली केंद्रिय सतर्कता आयोगाची निर्मिती केली. भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा करण्यात आला. लोकपाल, लोकायुक्त, माहितीचा अधिकार कायदा यासारखे उपाय करण्यात आले.

भ्रष्टाचाराविषयी बोलायचे झाले तर खरोखर भ्रष्टाचार हा जन्मजात असतो का? तर याचे उत्तर नक्कीच नाही. भ्रष्टाचार हा मानव निर्मित असून त्याचा शेवट देखील मानवानेच करायचा आहे. मग भ्रष्टाचार होतो कसा तर भ्रष्टाचार हा व्यक्तीच्या फसव्या आचरणातून किंवा वागण्यातून होत असतो. भ्रष्टाचार म्हणजे केवळ पैशाचा अपहार एवढाच नसून त्याची व्याप्ती ही फार मोठी आहे. अगदी पुराणोक्त काळातही भ्रष्टाचार होत होता. काही उदाहरणे सांगायची झाली तर प्रभू श्रीरामांचा राजा म्हणून राज्याभिषेक न होता, प्रभु श्रीरामांना वनवासात पाठविले, रावणाने सीतेचे फसव्या आचरणातून अपहरण केले. या आल्या रामायणातल्या गोष्टी, महाभारतामध्ये कौरवांनी द्युतामध्ये फसवून पांडवांचे राज्य जिंकुन घेतले आणि पांडवांना वनात पाठविले. असो, आता आपण पैशाच्या भ्रष्टाचाराची उदाहरणे बघुयात. त्यातील काही ऐकिवात आहेतती म्हणजे बोफोर्स स्कॅम, टू जी स्पेक्ट्रम स्कॅम (2003), सत्यम कॉम्प्युटर स्कॅम (2001), कॉमन वेल्थ गेम्स स्कॅम (2010), कोल स्कॅम (2012), चॉपर स्कॅम, आदर्श, स्कॅम, फॉडर स्कॅम, हर्षद मेहता स्कॅम, मार्केट स्कॅम इत्यादी.

एखाद्या देशामध्ये भ्रष्टाचार आहे हे कसे ओळखावे. त्याचे उत्तर हे आहे, की ज्या देशामध्ये संपत्ती असणारे आणि संपत्ती नसणारे यांच्यामध्ये प्रचंड दरी असते. ही परिस्थितीच हे दर्शवते की त्या देशामध्ये प्रचंड प्रमाणात भ्रष्टाचार आहे. याचा परिणाम असा होतो की ठराविक व्यक्तींकडेच भरपूर पैसा असतो आणि समाजातील अत्यंत मोठ्या वर्गाकडे पैसा नसतो किंवा ते दारिद्र रेषेखाली जगत असतात. एखादा वर्ग कायमच दारिद्र रेषेखाली राहिला. त्याला काम मिळाले नाही. तर नक्कीच तेथे गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढते. दारिद्र्यामुळे लोकांमधील चांगुलपणा नाहीसा होतो आणि परस्पर संबंध बिघडू लागतात. सामाजिक जीवन बिघड-ते. सर्वत्र अशांतता पसरते. याला कारण ठराविक व्यक्तीच प्रगतीचा पैसा मधल्यामध्ये हडप करतात. त्यामुळे देशाची प्रगती होत नाही आणि तो देश अधोगतीला जातो.

भ्रष्टाचाराची कारणे बघायला गेली तर ती न मोजता येण्यासारखी आहेत. त्यातील एक कारण म्हणजे नियम न पाळण, कायदा न पाळण किंवा नियम व कायद्याकडे डोळेझाक करणे, अजुन आपल्याला असे म्हणता येईल की सरकारी कामांमध्ये पारदर्शकता नसणे. ही फार बिकट परिस्थिती आहे. तसे बघितले तर जवळ जवळ सर्वच क्षेत्रांमध्ये भ्रष्टाचार होत आहे. भ्रष्टाचारी व्यक्ती त्यांना दिलेली काम आणि जबाबदाया भ्रष्टाचाराचा पैसा मिळाल्याशिवाय पार पाडतच नाहीत. अशी वृत्ती आजकाल फारच बळावत चालली आहे आणि आपण या देशाचे नागरिक अशा भ्रष्ट कृतींकडे कानाडोळा करतो म्हणजेच भ्रष्टाचारांना किंवा भ्रष्ट प्रवृत्तींना (प्रोत्साहन) नकळतच प्रोत्साहन देतो. तुम्ही प्राणी, पक्षी, वनस्पती, वृक्ष यांना भ्रष्टाचार करताना कधी पाहिले आहे काय? त्यांना नेमूनदिलेले नियम कधी मोडतात का? उदाहरणार्थ नारळाच्या झाडाला आंबे आलेले पाहिलेत का? वाघ, सिंहाला गवत खातांना पाहिले आहे का? गाईने हरिणाची शिकार करून खाल्ल्याचे ऐकिवात आहे काय? नाही ना. मग प्राणी, पक्षी, वनस्पती, वृक्ष जर नियम मोडत नसतील तर आपणच का नियम पाळत नाही. त्यांच्याकडून भ्रष्टाचार होतच नाही. कारण त्यांना नियम पाळणं माहित आहे आणि ते आचरणात आणतात आणि पाळतातही. भ्रष्टाचारामुळे देशाची प्रगती होत नाही, देशाची प्रतिमा खराब होते. देशातला खरेपणा आणि प्रामाणिकपणा नाहीसा होतो. जीवनमूल्यांचा ह्रास होतो. तेव्हा भ्रष्टाचाराशी सामना करण्यासाठी या देशाचे जबाबदार नागरिक या नात्याने सर्वांनी एक व्हायला हवे. भ्रष्टाचार हा सामाजिक आणि आर्थिक प्रगतीमध्ये अडथळा आहे. भ्रष्टाचार हा सुव्यवस्थेला लागलेला गंज आहे. भ्रष्टाचार हा व्यवस्थेला लागलेली वाळवी आहे.

भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढण्याची हीच खरी वेळ आहे :

1. भ्रष्टाचार आम्हास नष्ट करू पाहत आहे. खरे पाहता भ्रष्टाचारास समूळ नष्ट करण्याची आवश्यकता आहे.

2. भ्रष्टाचारास नकार द्यायला पाहिजे.

3. भ्रष्टाचार मुक्त देश, देशाच्या जनतेस चांगला आहे.

4. भ्रष्टाचारास सहकार्य करूनका, जर आपण देशाचा विकास इच्छिता.

श्रीकांत जोशी
सतर्कता अधिकारी,
भारत संचार निगम लिमिटेड.

'थर्ड जेंडर' के दर्द की दास्तान - नालासोपारा

नारीवादी लेखिका चित्रा मुद्गल द्वारा लिखे गए उपन्यास 'पोस्ट बॉक्स नं. 203 नालासोपारा' को 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 'नालासापोरा' उन 'थर्ड जेंडर' पर लिखा गया उपन्यास है, जिन्हें हमारे समाज में 'हिजड़ा' या 'किन्नर' कहकर पुकारा जाता है। इन्हें इस तरह से देखा जाता है जैसे सर्कस का खेल। इन्हें न मनुष्य के रूप में देखा जाता है, न ही मनुष्यों जैसा व्यवहार किया जाता है। कुछ समय पहले तक विभिन्न आवेदन-पत्रों में 'जेंडर' के कॉलम में सिर्फ स्त्री या पुरुष का ही विकल्प हुआ करता था, जाहिर सी बात है कि आम सोच यही है कि इंसान या तो पुरुष हो सकता है या स्त्री, जो इन दोनों में से कोई नहीं, वह इंसान कैसे होगा? इसका मतलब यह भी है कि जो इन दोनों श्रेणियों में नहीं है वह स्कूल, कॉलेज या नौकरियों में जाने के लिए योग्य नहीं है।

यह उपन्यास इसीलिए यह सवाल उठाता है कि जिन्हें हम 'किन्नर' कहते हैं आखिर उन्हें तालियाँ ही क्यों बजानी पड़ती हैं? दूसरों से माँगना क्यों पडता है? ऐसा क्या हुआ कि उन्हें यह काम करना पड़ा? अगर 'थर्ड जेंडर' लोग भी इंसान हैं, तो उन्हें समाज से बाहर क्यों रखा जाता है? इन सवालों के साथ साथ चित्रा मुद्गल का उपन्यास 'नालासोपारा' एक थर्ड जेंडर द्वारा इंसान के रूप में पहचाने जाने के लिए किए जाने वाले संघर्ष को बड़ी संवेदनशीलता के साथ दिखाता है।

उपन्यास का मुख्य पात्र विनोद उर्फ बिन्नी जो कि थर्ड जेंडर है, किसी आम लड़के की तरह ही पढ़ना चाहता है, अपने परिवार के साथ रहना चाहता है। पर इस 'लैंगिक कमी' के कारण विनोद को परिवार छोड़ना पड़ता है और जबरन किन्नर समुदाय में रहना पड़ता है। किन्नरों की सरदार विनोद को ले जाती है। घर में किन्नर का जन्म हुआ था, इस बदनामी से बचने के लिए बिन्नी का पिता अफवाह फैला देता है कि पहाड़ी से गिरने के कारण विनोद की मौत हो गयी और शरीर भी नहीं मिल सका। जिंदा होने के बावजूद वह समाज के लिए, घर-परिवार के लिए मर चुका है। अपनी तथाकथित 'कमी' के कारण अब विनोद न किसी से मिल सकता है, न घर पर फोन कर सकता है। इसलिए वह पत्रों के माध्यम से माँ से बातचीत करता है। पत्र भी वह घर न भेजकर नालासोपारा (मुम्बई) स्थित डाकखाने के 'पोस्ट बॉक्स नं. 203' के पते पर भेजता है और माँ छिपते-छिपाते बिन्नी को पत्र लिखती है। पूरा उपन्यास विनोद के पत्रों के माध्यम से मां-बेटे के बीच होने वाली मार्मिक बातचीत के सहारे आगे बढ़ता है। उपन्यास का अंत बहुत दुखद ढंग से माँ की मृत्यु के साथ होता है। मरने से पहले माँ-बेटे की मुलाकात भी नहीं हो पाती।

चित्रा मुद्गल अपने उपन्यास में किन्नरों को मनुष्य समझे जाने की माँग करती हैं, उनके साथ हुए शोषण को दिखाती है। अगर देखा जाए तो तीनों जेंडर में फर्क कुछ खास नहीं होता। देखने मे सभी एक जैसे हैं, वही खून है, वही शरीर है, वही दिल और दिमाग है, वे भी अन्य मनुष्यों की तरह ही दिखते हैं। अंतर सिर्फ इतना ही है कि उनके जननांगों का निर्माण या विकास ठीक से नहीं हुआ। पर क्या मनुष्य की पहचान सिर्फ उसके इसी अंग से है? उनके अंदर भी भावनाएं होती हैं। वे भी प्रेम करना जानते हैं। पर हमारे समाज ने उन्हें मनुष्य मानने या उन्हें समाज का हिस्सा बनाने से ही इंकार कर दिया है।

आज पढ़े लिखे लोग समानता की बात करते हैं, नारीवादी लोग तो स्त्री-पुरुष तक की समानता की बात करते हैं, लेकिन अगर वे सचमुच समानता चाहते हैं तो सिर्फ स्त्री-पुरुष की ही क्यों? किन्नरों की क्यों नहीं? पितृसत्ता ने ही जेंडर को बनाया है व अलग-अलग जेंडर के लिए अलग काम (श्रम विभाजन) तय किया है और यह भी तय किया है कि उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए। उपन्यास में विनोद माँग करता है कि उन्हें थर्ड जेंडर के लिए निर्धारित ''0'' श्रेणी में रखने के बजाय उन्हें हक मिलना चाहिए कि वे अपनी मर्जी से खुद को स्त्री या पुरुष की कैटेगरी में रख सकें। उन्हें भी यह हक़ है कि वे अपने परिवार के साथ रह सकें। आम लोगो की तरह जिंदगी जी सकें।

उपन्यास यह सवाल उठाता है कि अगर कोई सम्बन्ध नहीं बना सकता तो इसमें दिक्कत क्या है? इसका मतलब तो यही है कि हमारा समाज मनुष्यों की भावनाओं से ज्यादा, उसके प्रेम से ज्यादा, उसके पूरे शरीर से ज्यादा इसी लिंग को महत्व देता है। विनोद पूरी तरह अन्य लोगों जैसा ही है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि वह आम लोगों की तरह दीवार के सामने खड़ा होकर पैंट खोलकर पेशाब नहीं कर सकता। क्या इसके लिए उसका मजाक बनाया जाना चाहिए? पर क्या जरुरी है कि आप पुरुष हैं तो खुलेआम खड़े होकर ही पेशाब करें? यह मर्दानगी का लक्षण है या बेशर्मी का?

उपन्यास यह भी दिखाता है कि हमारे समाज के लोग इस कदर भूखे और 'फ्रस्टेट' हैं कि 5 साल की बच्ची से लेकर 50 साल की औरत तक बलात्कार का शिकार होती हैं। विनोद की थर्ड जेंडर दोस्त पूनम के साथ कुछ लड़कों द्वारा जबरदस्ती की जाती है। वे लड़के जबरन उसे नग्न कर के उसका प्राइवेट पार्ट देखते हैं और फिर उसके जननांग को लेकर मजाक उड़ाते हैं। इतने पर भी वे लोग उसे नही छोड़ते और चाकू से इसके प्राइवेट पार्ट को काट-पीट कर, अधमरी हाल में उसे छोड़ जाते हैं।

चित्रा मुद्गल थर्ड जेंडर समुदाय की सच्चाई को भी गहराई से दिखाती हैं। जिस तरह स्त्रियों व पुरुषों के लिए अलग-अलग प्रतिमान गढ़े गए हैं, 'थर्ड जेंडर' के लिए भी वही बात लागू होती है। उन्हें भारी-भरकम मेकअप व ज्वैलरी पहनाई जाती है, चलने और खड़े होने का अलग तरीका सिखाया जाता है। अलग ढंग से ताली बजाने से लेकर बोलने और नेग माँगने का तरीका सब कुछ इस ट्रेनिंग में शामिल होता है। यह सब इसलिए ही बनाया गया है ताकि हम दूर से देख कर पहचान सकें कि यह किन्नर हैं।

विनोद का संघर्षशील चरित्र भी इस उपन्यास की एक बड़ी खूबी है। इसकी कहानी दया नहीं, आक्रोश पैदा करती है, प्रेरणा देती है। अपनों से दूर एक अलग समुदाय के साथ रहते हुए भी विनोद सपने देखना नहीं छोड़ता, वह उन्हें पूरा करने की भी कोशिश करता है। वह 'किन्नरों' के लिए निर्धारित कर दी गई सीमाओं को तोड़ कर पढ़ाई भी करता है, कम्प्यूटर भी

सीखता है और सबसे बढ़ कर वो थर्ड जेंडर लोगों की स्थिति को बदलने के लिए उन्हें संगठित भी करता है।

हमारे लिए थर्ड जेंडर लोग हमसे अलग किसी विचित्र प्रजाति के जीव हैं जो ट्रेन में या चौराहों पर या कभी-कभार हमारी गलियों में अचानक प्रकट हो जाते हैं और फिर वैसे ही गायब भी हो जाते हैं। इससे ज्यादा हम उनके बारे में कुछ नही जानते। चित्रा मुद्गल का यह उपन्यास हमे याद दिलाता है कि थर्ड जेंडर भी हमारी तरह पूरे इंसान हैं। यह उपन्यास हमारी सोच को झकझोर कर रख देता है। हिंदी में स्त्रियों की समस्याओं को लेकर चर्चा होने लगी है लेकिन थर्ड जेंडर को लेकर गंभीर सोच-विचार अभी नहीं शुरू हुआ है , इसलिए इस उपन्यास का महत्व और बढ़ जाता है।

सुश्री उषा

ऐ मेरी बच्ची

वजूद तेरा ख़ाक करने की हर कोशिश हर साजिश की जाएगी
तुम्हें लड़नी होगी यही जंग की जिंदगी तेरी आबाद रहेगी।
शैतानी कदम उठेंगे मासूम पहचान तेरी मिटाने
ऐ मेरी बच्ची तू कैसे जी पाएगी?

गंदी नजरे घिरेंगी तेरी देवी समान मूर्ति को
अल्फ़ाज़ों के तीखे तीर दबाने तेरी स्फूर्ति को
पनपती विकृति से संस्कृति का मेल कैसे रख पाएगी?
ऐ मेरी बच्ची तू कैसे जी पाएगी?

हवा ने जहर पी लिया होगा
बादल बिजली ने घमासान मचाया होगा
पंछियों का घौंसला तो कब का टूट गया होगा
बौछार ने धरती को प्यासा ही छोड़ दिया होगा।

सिर्फ एक बूंद बची होगी पानी की
जो बस्ती में लगा रही होगी आग
मज़हब के मतलबी हाथों से हर दिन
जम्हूरियत हो रही होगी नीलाम।

खून का रंग तो बेशक होगा लाल
तहजीब मगर हर पल होगी हलाल
निकाह के नाम पर होता खुद का सौदा देख पाएगी?
ऐ मेरी बच्ची तू कैसे जी पाएगी?

आज मैं चाहे कितना हूँ परेशान
मगर यकीन तो है तू फख दिलाएगी।
अहल्या और मणिकर्णिका की नस्ल है तू
वतन की तकदीर का रूप असल है तू।
खौफ़ के पर्वत पर जमी बर्फ को

साहस की चिंगारी से पिघला दे तू।
भर दे इतना तूफान निगाह में
हवा का रुख मोड़ दे तू।
सीने में रख इरादा फौलाद का
हर चुनौती पर गहरा वार कर दे तू ।

उन्मुक्त गगन में स्वाभिमान की उड़ान भरेगी
ऐ मेरी बच्ची तू ऐसे जीएगी
ऐ मेरी बच्ची तू ऐसे जीएगी...

- सूरज महादेव माने
बैंक ऑफ इंड़िया, मारुती मंदिर शाखा

वो गलियाँ बचपन की

वो गलियाँ वो चौबारा
वहा जाना है दोबारा
हम तो हो गए परदेसी
अब कैसे जाऊँ मैं तिबारा।

वो गली जहाँ घुटनों से उठकर
पैरों पे चलना सीखा
दोस्तों के साथ चोर-पुलिस
गिल्ली डंडा, कबड्डी और

चिका-चिका खेला।
कितने सुकून भरे और खूबसूरत दिन थे वो
न भूख लगे, न फिकर थी।
न डर लगे न ख्वाबो की जिकर थी
गलती की न कोई सजा थी।
दर्द की दवा नहीं बस दुआ थी
सुबह से शाम कब हुई
कुछ भी पता नहीं थी।

बारिश और कीचड़ में नहाते थे
जुबाँ से गीत गुनगुनाते थे
ठिठुरती हुई भीषण ठंड में
लकड़ी की आग जलाते थे।
चाय पर चर्चा वही होती थी
सुबह की सुनहरी धूप में
विटामिन डी की डोज पाते थे।

खेलते खेलते बीत गए वो दिन
आज कहाँ हूँ समंदर पास है
फिर भी प्यास है।

न जाने कैसे लौटेंगे वो दिन
कैसा होगा वो सब दुबारा मुमकिन
वो गलिया वो चौबारा....

- धीरज कुमार महाराज
प्रबन्धक, बैंक ऑफ इंड़िया, मारुती मंदिर शाखा

एक सच्चा कदम उठाएँ हम

आओ आज एक सच्चा कदम उठाएँ हम,
एक नए सवेरे की शुरुआत करें हम।
हिन्दी भाषा के गौरव को,
पूरे देश और दुनिया में फैलाएँ हम।

हिन्दी भाषा की रक्षा की खातिर,
अपने घर से ही शुरुआत करें हम।
अपने बच्चों को हिन्दी भाषा की,
महत्ता से आत्मसात करवाएँ हम।

कार्यालय में हिन्दी भाषा का प्रोत्साहन करें,
हिन्दी भाषा में कार्य करने की शपथ लें आज हम।
कार्यालयों के कोनों से निकल,
जन भागीदारी बढ़ाएँ हम।
इस हिन्दी सप्ताह को क्यों न बाहर जाकर,
अहिंदी भाषियों के साथ मनाएँ हम।

घृणा के भाव घुमड़ रहे जिन जहाजों में,
उनके दिलों में हिन्दी का फूल खिलाएं हम।
सभी भाषा हैं सच्ची,
अपनी ये बात सबको बताएं हम।

कोई भाषा न फिर हिन्दी से पराई हो,
सबके मन में हिन्दी भाषा का प्रेम फैलाएँ हम।
हर कार्यालय में एक हिन्दी अधिकारी हो,
यह सरकार से अर्जी लगाएँ हम।
फिर हो हिन्दी में पत्राचार,
हिन्दी में पहचान बढ़ाएँ हम।

विज्ञापन जितने भी हों,
जहां पर द्विभाषी हो यह नियम बनवाएँ हम।
एक देश है एक ही पहचान हो,
सरकार से यह गुहार लगवाएँ हम।

आओ एक सच्चा कदम उठाएँ हम,
हिन्दी भाषा के गौरव को पूरे देश,
और दुनिया में फैलाएँ हम।

- आनंद पाल, प्रधान नाविक
भारतीय तटरक्षक अवस्थान, रत्नागिरी

राष्ट्रभाषा

राष्ट्रभाषा आत्मा की इच्छाशक्ति का प्रतीक है
जो विचारों को एक धागे में बाँधकर
राष्ट्रप्रेम को जागृत करती है।

प्रचार एवं प्रसार की विशेषताएँ
दायित्व निभाने का संकल्प पूर्ण करके
जनसंपर्क रुप में,
एकता की आवाज बुलंद कर देती है।

जात-पाँत और धर्म के बंधन को तोडकर,
मानवता की परीभाषाएँ जगाने के लिए,
प्रकृति का नियम सिद्ध कर देती है।

राष्ट्रभाषा मनोविज्ञान की प्रतिछाया है..
जिसका प्रतिबिंब, सामर्थ्य और शक्ति का,
संगम सिद्ध करके जीवन समर्पित करती है।

वह देश की जननी है,
चिंतन एवं अनुवाद से हमारा विश्वास बढाकर,
हमें समझाने का और अभिमान जागृत करके,
महसूस करने का मौका देती है।

राष्ट्रभाषा क्रांतिकारी विचारों का अग्निकुंड है,
जो प्राणों की आहुति देकर,
मानवता की रक्षा करनें के लिए
आतंकवाद को खत्म करती है।

- दत्ताराम पांडुरंग ढेपसे
उच्च श्रेणी सहायक
भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, शाखा रत्नागिरी

मानक प्रशासनिक अभिव्यक्तियाँ और वाक्यांश

अंग्रेजी रूप	हिन्दी रूप
A brief note is placed below	संक्षिप्त टिप्पणी/नोट नीचे प्रस्तुत है
Above cited	ऊपर दिया गया, ऊपर उद्धृत, उपर्युक्त
Background of the case	विषय/ मामले की पृष्ठभूमि/ का आधार
Before cited	पूर्व कथित
Calculations and rates checked by	. . . ने गणना और दरों की जांच की
Call for explanation	स्पष्टीकरण मांगें
Day-to-day administrative work	दैनंदिन/ दैनिक प्रशासनिक कार्य
Day-to-day promotion	दैनिक/ दैनंदिन प्रचार
Each case will be considered on merits	प्रत्येक मामले पर उसके गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा
Early orders are solicited	शीघ्र आदेश अपेक्षित है
Facilities associated with transfer	स्थानांतरण से जुड़ी सुविधाएं
Facts of the case may kindly be furnished	कृपया मामले/ प्रकरण के तथ्य प्रस्तुत करें
Give details	ब्योरे प्रस्तुत कीजिए
Give effect to	. . . को प्रभावी करना/ अमल में लाना
Half year ending	. . . को समाप्त छमाही
Hand over charge	कार्यभार/ पदभार सौंपना
I agree	मैं सहमत हूँ
I agree with 'a' above	मैं उपर्युक्त 'क' से सहमत हूँ
I am directed to . . .	मुझे निदेश हुआ है कि . . .
I am to add that	मुझे यह भी सूचित करना है कि
Joining period will be availed later	कार्यग्रहण अवधि बाद में ली जाएगी
Joining report is submitted	कार्यग्रहण सूचना प्रस्तुत कर दी गई है
Keep going	जारी रखें
Keep in abeyance	रोक/ स्थगित रखा जाए
Lay before	. . . के समक्ष रखना / प्रस्तुत करना
Lay down	निर्दिष्ट/ निर्धारित करना

Made to order	आदेशानुसार बनाया गया/ निर्मित
Maintenance of account	1. हिसाब रखना, लेखा रखना 2. खाता रखना
Necessary action may be taken/ initiated	आवश्यक कार्रवाई की जाए/ प्रारंभ की जाए
Necessary clarification awaited	आवश्यक स्पष्टीकरण प्रतीक्षित
Observation made above	उपर्युक्त विचार/ मत
Obtain formal sanction	औपचारिक मंजूरी/ स्वीकृति प्राप्त करना
Paid into the credit of . . .	. . . जमा करने के लिए अदा किया गया
Papers for disposal	निपटान हेतु कागजात
Quantum of amount claimed	दावे की रकम की प्रमात्रा
Quantum of remuneration may pleased be fixed	कृपया पारिश्रमिक की प्रमात्रा निश्चित करें/ की जाए
Raise objection	आपत्ति उठाना
Raised question	उठाया गया प्रश्न
Sanction is hereby accorded to	. . . को इसके द्वारा मंजूरी दी जाती है
Sanction may be accorded for the creation of the additional posts of . . .	. . . के अतिरिक्त पदों के सृजन के लिए मंजूरी/ संस्वीकृति की जाए
Take care of . . .	. . . की देखभाल करना/ . . . का ध्यान रखना
Take effect	प्रभावी होना
Take for granted	मान लेना, मानकर चलना, यह मान लिया जाए
Take notice	ध्यान में रखना
Ultimately this has to be done	अंततः यह करना ही होगा
Unable to do	करने में असमर्थ/ अक्षम
Verify and found correct	सत्यापित किया और ठीक पाया
Waiting list is prepared	प्रतीक्षा सूची बनाई गई है
Waiting list may be renewed	प्रतीक्षा सूची को नवीकृत किया जाए
Year after year	वर्ष-प्रति-वर्ष, साल-दर-साल
Year to year	प्रति वर्ष, वार्षिक

I endorse	मैं समर्थन करता हूं
Incomplete work	अधूरा कार्य
Investigate	जांच करें
Keep copy for follow up	अनुवर्ती कार्रवाई के लिए प्रति रखें
Keep in abeyance	रोके रखें
Keep it up	प्रयास जारी रखें
Keep pending	लंबित रखें
Kindly permit	कृपया अनुमति दें
May not pursue the matter	मामले पर आगे कार्रवाई न करें
Meeting stands cancelled	बैठक रद्द कर दी गई है
Meeting stands postponed	बैठक स्थगित कर दी गई है
Monitor the account closely	खाते पर कड़ी नजर रखें
Not possible	संभव नहीं
O.K	ठीक है
Orders may be issued	आदेश जारी करें
Performance upto date?	क्या कार्य निष्पादन अद्यतन है?
Please acknowledge	कृपया पावती दें
Please advise Shri _____ accordingly	कृपया श्री _____ को तदनुसार सूचित करें
Please call the company	कृपया चर्चा के लिए कंपनी प्रतिनिधि को बुलाएँ
Please change/correct as discussed	कृपया चर्चा के अनुसार परिवर्तन/संशोधन करें
Please circulate immediately	कृपया तत्काल परिचालित करें
Please discuss	कृपया चर्चा करें
Please examine	कृपया जांच लें
Please explain	कृपया स्पष्ट करें
Please follow up	कृपया अनुवर्ती कार्रवाई करें
Please immediately respond	कृपया तत्काल उत्तर दें
Please keep papers ready	कृपया कागजात तैयार रखें
Please let me know why it is delayed	कृपया देरी/विलंब के कारण मुझे बताएं
Please look into it & put up reply	कृपया जांच ले और उत्तर पेश करें
Please make correction	कृपया संशोधन करें
Please note	कृपया नोट करें
Please put in Board Meeting	बोर्ड बैठक में पेश करें
Please put up reply	कृपया उत्तर पेश करें
Please put up suitable reply	कृपया उपयुक्त उत्तर भेजें
Please refer to _____	कृपया _____ को संदर्भ हेतु भेजें

प्रतियोगिता आयोजक	प्रतियोगिता	पुरस्कार प्राप्त
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	वक्तृत्व प्रतियोगिता	1. श्री सूरज माने - बैंक ऑफ इंडिया (प्रथम) 2. श्री अतुल भास्कर - बैंक ऑफ इंडिया (द्वितीय) 3. श्री सतीशकुमार - भारतीय तटरक्षक (तृतीय) श्री अब्दुल अजीज नाकाडे - आकाशवाणी (तृतीय) सुश्री नीतू कुमारी - सीमाशुल्क (तृतीय) 4. श्री विकास - भारतीय तटरक्षक अवस्थान (प्रोत्साहन) श्री रसाक नितीन - सीमाशुल्क (प्रोत्साहन) श्री चंद्रकांत कुमार - भारतीय तटरक्षक (प्रोत्साहन) श्री संदीप केलकर - कोंकण रेलवे (प्रोत्साहन) श्री वी. डी. पवार - कोंकण रेलवे (प्रोत्साहन)
भारतीय जीवन बीमा निगम	आशुभाषण प्रतियोगिता	1. श्री अब्दुल अजीज नाकाडे - आकाशवाणी (प्रथम) 2. श्री सूरज माने - बैंक ऑफ इंडिया (द्वितीय) 3. श्री सतीश कुमार - भारतीय तटरक्षक (तृतीय) 4. सुश्री नीतू कुमारी - सीमाशुल्क (प्रोत्साहन) श्री दिनेश राम - भारतीय तटरक्षक (प्रोत्साहन) श्री सुनील बापु राव - भारतीय तटरक्षक (प्रोत्साहन) श्री अभिषेक पांडे - सीमा शुल्क (प्रोत्साहन)
सीमा शुल्क कार्यालय	काव्यवाचन प्रतियोगिता	1. श्री चन्दन कुमार - बैंक ऑफ इंडिया (प्रथम) 2. श्री दत्ताराम पांडुरंग - भारतीय जीवन बीमा (द्वितीय) 3. श्री सूरज माने - बैंक ऑफ इंडिया (तृतीय) श्री मुफीद नकवा - सीमा शुल्क मण्डल (तृतीय) श्री ज्ञानेंद्र सिंह - सीमा शुल्क मण्डल (तृतीय) 4. श्री अब्दुल अजीज नाकाडे - आकाशवाणी (प्रोत्साहन) मोहम्मद नदीम - भारतीय तटरक्षक (प्रोत्साहन)
बैंक ऑफ इंडिया	शब्द से गीत गायन प्रतियोगिता	1. श्रीमती अल्का भावे - भारतीय जीवन बीमा (प्रथम) 2. श्री राजीव धर - बैंक ऑफ इंडिया (द्वितीय) 3. राजेश सोनार - पवन गुब्बारा वेधशाला (तृतीय) श्रीमती वैदेही भाटकर - भारतीय जीवन बीमा (तृतीय) 4. श्री मुफीद नखवा - सीमा शुल्क मण्डल (प्रोत्साहन) सुश्री नीतू कुमारी - सीमा शुल्क मण्डल (प्रोत्साहन)

बैंक ऑफ इंडिया, रत्नागिरी अंचल कार्यालय द्वारा दिनांक 11.10.2019 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वावधान में सदस्य कार्यालयों के स्टाफ सदस्यों के लिए हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। सदस्य सचिव निरंजन कुमार सामरिया द्वारा राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधान, राजभाषा अधिनियम, राजभाषा नियम, राजभाषा कार्यान्वयन, तिमाही एवं छमाही रिपोर्ट, हिन्दी यूनिकोड में टाइपिंग कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी। गूगल वॉइस टाइपिंग के बारे में आयोजन विभाग के अधिकारी श्री सौरभ कोदुरवार द्वारा प्रस्तुति दी गई।

ओरिएंटल बैंक ऑफ़ कॉमर्स - वक्तृत्व प्रतियोगिता

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी

हिंदी पखवाड़े की झलकियां...

बैंक ऑफ़ इंडिया - शब्द से गीत गायन प्रतियोगिता

भारतीय जीवन बीमा निगम - आशु भाषण प्रतियोगिता

सीमा शुल्क कार्यालय - काव्य वाचन प्रतियोगिता

हिंदी संगोष्ठी "राजभाषा कार्यान्वयन में नराकास की भूमिका" विषय

दिनांक 28 जून 2019 को आयोजित रत्नागिरी नगर राजभाषा कार्यानवयन समिति की छमाही बैठक में लिए गए निर्णय के अनुपालन में इसके तत्वावधान में बैंक ऑफ़ इंडिया, अंचल कार्यालय द्वारा दिनांक 24 अक्टूबर 2019 को सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों के लिए "राजभाषा कार्यान्वयन में नराकास की भूमिका" विषय पर हिंदी संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में विभिन्न सदस्य कार्यालयों के कार्यालय प्रमुखों और उनके प्रतिनिधियों ने सहभागिता की।

चित्रकार

श्रीमती वंदना
वरिष्ठ प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया

चित्रकार

वैशाली रामटेके
मुख्य प्रबंधक
बैंक ऑफ इंडिया

चित्रकार

स्नेहा ढोक
लिपिक
बैंक ऑफ इंडिया

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति, रत्नागिरी

बैंक ऑफ़ इंडिया, आंचलिक कार्यालय, शिवाजीनगर, रत्नागिरी 415 639 (महाराष्ट्र)